सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2023-2024

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के अधीन सोसायटी)

SFAC लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

विषय-सूची

खंड संख्या	शीर्षक संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	उद्देश्य और संगठनात्मक ढाँचा	1 -6
2.	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन	7-20
3.	मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.एफ.पी.ओ) के गठन और संवर्धन	21-23
4.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत समर्थित एफपीओ	24-28
5.	राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)	29-62
6.	**अनुलग्नक–I** एसएफएसी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य	63-64
7.	**अनुलग्नक – II** एफपीओ मेला/प्रदर्शनी 2023-24	65-66
8.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	69-101

अध्याय-1

उद्देश्य और संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रस्तावना

पिछले पाँच वर्षों में, कृषि आदानों की लागत में उतार-चढ़ाव के बावजूद मूल्यों में स्थिरता रखते हुए खाद्यानों के उत्पादन में प्रति वर्ष औसतन 4.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टॉक है, जिसका लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा दो-तिहाई आबादी को निःशुल्क वितरित किया जाता है। भारत अपने खाद्यान्नों का 7 प्रतिशत से अधिक निर्यात करता है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सकारात्मक योगदान मिला है[1]।

1. भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करता है और मौजूदा कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है। यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि इसने पिछले पांच वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.18 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। एमएसपी के माध्यम से सुनिश्चित लाभकारी मूल्य, संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार, फसल विविधीकरण को सक्षम करना, मशीनीकरण को बढ़ावा देना, जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में सरकार द्वारा की गई कई पहलों और उपायों का इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2023-24 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.4 प्रतिशत रही, जो 2022-23 में प्राप्त 4.7 प्रतिशत से कम है। एल नीनों के प्रभाव से और खराब मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई। पशुधन और मत्स्य पालन ने अनाज जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है जो कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि से स्पष्ट है। यह हिस्सेदारी वर्तमान मूल्यों पर 2014-15 में 24.38 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 30.23 प्रतिशत और 7.25 हो गई है। क्रमशः वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर कृषि जीवीए में फसलों की हिस्सेदारी 55.28 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2014-15 में यह 61.75 प्रतिशत था।[2]

2. देश एक प्रमुख कृषि उत्पादक है। यह चावल, गेहूँ, कपास तथा अन्य फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, देश में फसलों की पैदावार अन्य प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है। खंडित भूमि जोत, कम कृषि

---

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, पृष्ठ—319
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, पृष्ठ—319 एवं 320 (भाग 9.1)

निवेश, कृषि मशीनीकरण की कमी, गुणवत्ता वाले इनपुट तक अपर्याप्त पहुंच, और अपर्याप्त विपणन बुनियादी ढांचे के अभाव में फसल के बाद का नुकसान, बारिश पर निर्भरता और अल्प अवधि वाले बुवाई मौसम ये कम पैदावार के कुछ कारण हैं।[3]

3. किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी रिपोर्ट- 2016 (डीएफआई) की सिफारिशों के अनुरूप कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कई हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, जिसमें फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, फसल सघनता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधता लाने और किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य प्रदान करने की रणनीतियों की पहचान की गई है।[4]

4. सरकार ने स्मार्ट कृषि प्रौद्‌योगिकी अपनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन तथा इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) जैसी पहल की है ताकि किसान अपने उत्पाद के बेहतर मूल्यों का पता लगा सकें। कृषि विपणन में कुशलता को बढ़ावा देने तथा बेहतर मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने ई-नाम योजना लागू की है।[5]

5. भारतीय कृषि में अभी भी छोटे भूमिधारक अधिक है। लगभग 89.4% किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि हैं। किसानों को अपने कृषि भूमि में निवेश करने की क्षमता सीधे तौर पर किफायती ऋण तक पहुंच पर निर्भर करती है। सरकार की प्राथमिकता समय पर, लागत प्रभावी और पर्याप्त ऋण प्रदान करना है, ताकि किसान गैर- संस्थागत ऋण पर निर्भर रहें।[6]

6. लघु एवं सीमांत किसानों का एकत्रीकरण/समूहीकरण उन्हें आधुनिक प्रौद्‌योगिकी, कृषि मशीनीकरण, संचालन की कम लागत, कस्टम सेवा, सस्ती इनपुट आपूर्ति, उपज के लिए लाभकारी मूल्य और कुशल आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन का लाभ उठाने के लिए एक व्यवहार्य आर्थिक इकाई बनाता है। यह भूमि संसाधनों के एकत्रीकरण, पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संपर्कों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण, तथा ऋण तक पहुंच के लिए बाजार की जानकारी तक आसान पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है।

7. केन्द्रीय क्षेत्रक योजना -''10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संर्वधन योजना'' की शुरूआत भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्‌वारा 29 फरवरी 2020 को की गई थी। यह किसानों के एकत्रीकरण/ समूह बनाने की एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया गया था।

---

3. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, पृष्ठ—320 (भाग- 9.2)

4. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, पृष्ठ —320 (भाग- 9.3)

5. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, पृष्ठ —321(भाग- 9.3) और 327 (भाग-9.18)

6. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, पृष्ठ —325 (भाग- 9.13)

8. एसएफएसी के माध्यम से कार्यान्वित सरकारी योजनाएं /कार्यक्रम 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), ई-नाम, कृषि-विपणन, कृषि-वित्तपोषण, कृषि-प्रसंस्करण और उपज में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अग्रिम और पश्चवर्ती संबंध स्थापित करना है। फार्मगेट पर सीधी खरीद और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़ने से छोटे किसानों को लाभ होता है। संस्थागत ऋण और विपणन नेटवर्क तक पहुंच बढ़ाकर कृषि व्यवसाय में एफपीओ/कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने से कृषि क्षेत्र में अग्रिम और पश्चवर्ती संपर्क स्थापित होता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में छोटे और सीमांत किसानों के वित्तीय समावेशन में योगदान मिलता है।

1.2 एस.एफ.ए.सी. की स्थापना

ग्रामीण रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की मौजूदा जरूरतों को समझते हुए, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 1992-93 के अपने बजट भाषण में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की स्थापना के लिए भारत सरकार की नई पहल के निर्णय की घोषणा इन शब्दों में की थी: "विभिन्न प्रकार के कृषि व्यवसाय को समर्थन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार सृजन के लिए अभिनव विचारों का समर्थन करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।" 1994 में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) की स्थापना कृषि-आधारित उद्योगों में नए उद्यमों के माध्यम से कृषि-केंद्रित विकास लाने और सुविधाजनक बनाने के लिए उपरोक्त घोषणा की अगली कड़ी थी। एसएफएसी एक विकासात्मक संस्थान के रूप में उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच कुशल संबंधों के प्रावधान पर केंद्रित है। व्यापक अर्थों में एसएफएसी कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी से संबंधित है।

1.3 एसएफएसी का लक्ष्य और उद्देश्य

I. आय और ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित कर कृषि व्यवसाय परियोजनाओं को बढ़ावा देना; और
II. कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ उत्पादक संगठनों के रूप में किसानों के एकत्रीकरण को बढ़ावा देना।

1.4 संगठनात्मक ढांचा

एसएफएसी की परिकल्पना कृषि-व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक/सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में की गई है। इस संगठन के कानूनी स्वरूप के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर गौर करने के बाद, योजना आयोग ने निर्णय लिया था कि एसएफएसी का उपयुक्त संगठनात्मक स्वरूप सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी होगी। तदनुसार, इसे भारत सरकार द्वारा उपयुक्त माना गया। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत करना उचित समझा। इसे शुरुआत में भारत सरकार और बैंकों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद, एसएफएसी को 18 जनवरी, 1994 को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में एक विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। वर्तमान में, एसएफएसी की कुल सदस्यता राशि 11.45 करोड़ रुपये है। उपरोक्त कॉर्पस को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रमोटर सदस्यों, प्राथमिक 6 सदस्यों और सहयोगी सदस्यों (बिना मतदान के अधिकार के) द्वारा योगदान दिया गया था:

	सदस्यों के प्रकार	**सदस्यता शुल्क (करोड़ रु. में)**
I	**संस्थापक सदस्य**	
i)	भारत सरकार	0.75
ii)	भारतीय रिजर्व बैंक	1.50
iii)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	1.50
iv)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1.50
vi)	भारतीय स्टेट बैंक	1.50
v)	पंजाब नेशनल बैंक	1.50
II	**प्राथमिक सदस्य**	
i)	केनरा बैंक	0.50
ii)	एग्रीनेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, मुंबई	0.50
iii)	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नेफेड, नई दिल्ली	0.20
iv)	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.50
III	**स्थायी आमंत्रित सदस्य**	
i)	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	1.50
	कुल	**11.45**

1.5 प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यवस्था

सोसायटी के अंतर्नियमों में 23 सदस्यों वाले एक प्रबंधन बोर्ड का प्रावधान है। एसएफएसी के प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता, पदेन तौर पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा की जाती हैं। सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण), भारत सरकार, पदेन उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं। एसएफएसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा। सोसायटी के अन्य प्रमोटर सदस्यों में से प्रत्येक के पास सोसायटी के प्रबंधन बोर्ड में गैर-वैकल्पिक स्थायी सीट होगी। शेष सदस्यों में से सात को केंद्र या राज्य सरकार और अर्ध-सरकारी संगठनों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य सक्षम व्यक्तियों में से राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा और आठ को सोसायटी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अनुसार, प्रमोटर सदस्य स्थायी हैं और कोई भी प्रमोटर सदस्य सोसायटी के मामलों और व्यवसाय से खुद को अलग करने का हकदार नहीं है। प्रबंधन बोर्ड ने तीन समितियों का गठन किया है। सोसायटी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति महत्वपूर्ण मामलों सहित प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए अन्य कार्यकारी मामलों पर विचार-विमर्श करती है। उद्यम पूंजी सहायता की मंजूरी के लिए कृषि प्रस्तावों पर विचार- विमर्श करने हेतु प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक निवेश समिति है तथा एसएफएसी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली एक स्थायी लेखा समिति है। सोसायटी के दिन-प्रतिदिन के मामलों को प्रबंध निदेशक द्वारा देखा जाता है और उचित स्तर पर अन्य कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम)/शासी निकाय के सदस्यों की सूची **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

1.6 एसएफएसी द्वारा संचालित सरकारी योजनाएं

1. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय सैक्टर योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन;

2. एसएफएसी प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछली एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) में से एक है।

3. एसएफएसी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत शहद एफपीओ की कार्यान्वयन एजेंसी भी हैं।

4. कृषि-जिन्सों के व्यापार हेतु एक राष्ट्रीय बाज़ार मंच बनाने के लिए, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग व्यापार पोर्टल कृषि राष्ट्रीय बाज़ार (ई-नाम) का क्रियान्वयन।

1.7 एसएफएसी के संसाधन

सोसायटी एसएफएसी फंड बनाए रखेगी और विभिन्न मदों से प्राप्त राशि को संबंधित मदों में जमा किया जाएगा जैसे:-:-

क) एसएफएसी द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों से प्राप्त धनराशि;

ख) सोसायटी की स्थापना के बाद से सदस्यों से एकत्र किया गया सदस्यता शुल्क और अन्य प्रभार;

ग) सोसायटी द्वारा प्राप्त उपहारों से होने वाली आय;

घ) सोसायटी को प्रदान किए गए दान और अनुदान;

ङ) अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि आदि

स्थापना और अन्य पूंजीगत या राजस्व व्यय केंद्र सरकार / राज्य सरकार या एजेंसी योजनाओं के प्रबंधन के लिए एकत्र/प्राप्त सेवा शुल्क के माध्यम से कवर किए जाएंगे, जिसमें सोसायटी के अपने संसाधनों से उत्पन्न राजस्व, ब्याज आय और किराया आदि शामिल हैं।

अध्याय- 2

कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) का संवर्धन

2.1 एसएफएसी को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए अधिदेश दिया गया है। शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल (वीआईयूसी) और वर्षा आधारित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2011-12 में दो केंद्रीय सैक्टर योजनाओं के साथ एफपीओ पहल की शुरूआत की गई। इसके दायरे में विस्तार हुआ, जिसमें सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृखंला विकास मिशन (एमओवीसीडी-एनईआर) और पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के तहत राष्ट्रीय निष्पादन परियोजना के तहत कुछ राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जा रही विशेष एफपीओ परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

2.2 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों) एफपीओ (के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय सैक्टर योजना

2.2.1 योजना अवलोकन

कृषि क्षेत्र की राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के विकास में विश्व स्तर पर भारत सबसे अग्रणी है। हालाँकि, देश में 89% से अधिक कृषक लघु एवं सीमांत हैं। हमारे कृषकों को उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध कराने सहित ऋण, बेहतर कृषि इनपुट एवं अधिक बाज़ार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पैदा करने में सक्षम हो सकें।

छोटे और सीमांत किसानों के पास उत्पादन प्रौद्योगिकी, सेवाओं और मूल्यवर्धन के साथ, विपणन की आर्थिक शक्ति नहीं है। अत: उनकी आय में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता सामग्री, ऋण एवं विपणन तक बेहतर पहुंच के लिए सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने के लिए उन्हें एकत्रित करना आवश्यक है।एफपीओ का गठन और संवर्धन एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रणनीति के रूप में माना जाता है जो किसानों की उपज और आय में वृद्धि की सुविधा प्रदान कर सकता है।

एफपीओ के महत्व को समझते हुए एवं किसानों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने 29-02-2020 को चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय सैक्टर योजना शुरू की थी, जिसमें लघु और सीमांत किसानों की सुविधा और समर्थन के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाई गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित यह

योजना 14 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

(ii) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.)

(iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)

(iv) भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)

(v) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

(vi) ग्रामीण मूल्य श्रृंखला विकास फाउंडेशन (एफ.डी.आर.वी.सी.)

(vii) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.)

(viii) एस.एफ.ए.सी.- तमिलनाडु

(ix) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामेक)

(x) पश्चिम बंगा एग्री मार्केटिंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.ए.एम.सी.एल.)

(xi) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सी.ए.यू.) मणिपुर

(xii) उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना (यू.पी.डी.ए.एफ.पी.)

(xiii) गुजरात प्राकृतिक खेती विज्ञान विश्वविद्यालय (जी.एन.एफ.एस.यू.)

(xiv) वाटरशेड विकास विभाग (डब्ल्यू.डी.डी.) कर्नाटक

योजना के अंतर्गत, 10,000 एफपीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को आवंटित किया गया है। इनमें से 31.03.2024 तक 8,409 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं।

इस योजना में इसके कार्यान्वयन, कलस्टर पहचान, सामुदायिक लामबंदी, एफपीओ की क्षमता निर्माण, एफपीओ के इनक्यूबेशन/हैंडहोल्डिंग, सामान्य पूल उत्पादन की सुविधा बुनियादी ढांचे में सहायता के लिए विपणन एवं प्रसंस्करण और कलस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) एवं मूल्य श्रृंखला संगठनों (वीसीओ) की सहभागिता का प्रावधान है। भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के अंतर्गत 450 से अधिक सीबीबीओ और 9 वीसीओ को शामिल किया गया है।

2.1.20 योजना की मुख्य विशेषताएं :

(i) राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) समग्र परियोजना मार्गदर्शन, एकीकृत पोर्टल के माध्यम से डेटा रखरखाव और सूचना प्रबंधन और निगरानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। एनपीएमए राष्ट्रीय स्तर पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पांच श्रेणियों के साथ कृषि/बागवानी, विपणन एवं प्रसंस्करण, इनक्यूबेशन सेवा, आईटी/एमआईएस, विधिक एवं लेखांकन में विशेषताओं के साथ तकनीकी समूह से सुसज्जित है।

(ii) एफपीओ को 5 वर्ष की अवधि के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) और मूल्य श्रृंखला संगठनों (वीसीओ) के माध्यम से एफपीओ का गठन किया जा रहा है ।

(iii) एफपीओ प्रबंधन लागत 18 लाख रुपये प्रति एफपीओ है, जो कर्मचारियों के वेतन, एफपीओ के पंजीकरण, कार्यालय किराया और उपयोगिता शुल्क, छोटे उपकरण लागत, यात्रा और विविध व्यय आदि के लिए प्रदान की जाती है।

(iv) एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को समतुल्य अनुदान के रूप में 2,000 रुपये तक का इक्विटी अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति एफपीओ 15.00 लाख रुपये है।

(v) प्रत्येक एफपीओ को ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जा रहा है, जो 2.00 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण तक सीमित है। 1 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण के मामले में, क्रेडिट गारंटी कवर बैंक-योग्य परियोजना ऋण का 85% है, जिसकी अधिकतम सीमा 85.00 लाख रुपये है; जबकि 1.00 करोड़ रुपये से अधिक और 2.00 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण के मामले में, ऋण गारंटी कवर बैंक योग्य परियोजना ऋण का 75% है, जिसकी अधिकतम सीमा 150.00 लाख रुपये है।

(vi) नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी), लखनऊ को कंपनी अधिनियम के भाग IX क के अंतर्गत निगमित या सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एफपीओ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया गया है। बी आई आर डी अन्य प्रतिष्ठित संगठनों जैसे; एनआईआरडी, मैनेज, एनआईएएम, निफ्टेम, वैमनीकॉम और अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थान जैसे आईआरएमए, आनंद और एएससीआई, हैदराबाद, राज्य और केंद्र सरकार के कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास विश्वविद्यालय, केवीके और अन्य राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन और कौशल विकास संस्थान के साथ साझेदारी में काम करेगा।

2.2.3 योजना के अंतर्गत एफपीओ का गठन:

(i) योजना के अधिदेश के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर, मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को संपूर्ण परियोजना का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एकीकृत पोर्टल/एमआईएस, सूचना प्रबंधन और निगरानी के माध्यम से डेटा के रखरखाव हेतु नियुक्त किया गया है।

(ii) एस.एफ.ए.सी. केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है तथा केंद्रीय सैक्टर योजना 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों के गठन तथा संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

(iii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीबीबीओ के चयन के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार एसएफएसी ने 146 क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) और 09 मूल्य श्रृंखला संगठन (वीसीओ) को शामिल किया है।

(iv) केंद्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत 31.03.2024 तक सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पंजीकृत राज्यवार 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन का विवरण तालिका 2 क में दिया गया है।

तालिका 2 क: कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के अनुसार एफपीओ का आवंटन एवं पंजीकरण।

क्र.सं	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	आईए द्वारा 31 मार्च 2024 तक आवंटन	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकृत एफपीओ	31 मार्च 2024 तक कुल पंजीकरण
1.	सी.ए.यू, मणिपुर	60	60	60
2.	एफडीआरवीसी (एमओआरडी-एनआरएलएम)	800	443	666
3.	जीएनएफएसयू (पूर्व में जीएआईसीएल)	97	-	97
4.	नाबार्ड	1,694	297	1,686
5.	नेफेड	1,191	501	1,093
6.	एनसीडीसी	1,863	249	778
7.	एनडीडीबी	126	109	117
8.	नेरामैक	220	155	210
9.	पीएएमसीएल, पश्चिम बंगाल	25	15	25
10.	एस.एफ.ए.सी.	3,711	1479	3,466
11.	एस.एफ.ए.सी.-तमिलनाडु	50	-	50
12.	ट्राइफेड	13	-	13
13.	यूपीडीएएसपी	50	-	50
14.	डब्ल्यूडीडी कर्नाटक	100	-	100
	कुल योग	**10,000**	**3,297**	**8,411**

2.3 एसएफएसी द्वारा 10,000 एफपीओ योजना का कार्यान्वयन

एसएफएसी ने 10000 एफपीओ की केंद्रीय सैक्टर योजना के तहत एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए 146 क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) और 09 मूल्य श्रृंखला संगठन (वीसीओ) को शामिल किया है।

एसएफएसी द्वारा 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 31.03.2024 तक राज्यवार पंजीकृत एफपीओ का विवरण नीचे **तालिका 2 ख** में दर्शाया गया है।

तालिका 2ख

क्र.सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान पंजीकृत एफपीओ	31.03.2024 तक पंजीकृत कुल एफपीओ
1	आन्ध्र प्रदेश	154	197
2	अरूणाचल प्रदेश	32	37
3	असम	89	163
4	बिहार	160	278
5	छत्तीसगढ़	19	65
6	गुजरात	41	128
7	हरियाणा	7	106
8	हिमाचल प्रदेश	13	57
9	जम्मू एवं कश्मीर	70	111
10	झारखंड	22	88
11	कर्नाटक	14	49
12	केरल	7	42
13	मध्य प्रदेश	129	322
14	महाराष्ट्र	47	204
15	मणिपुर	1	9
16	मेघालय	11	12
17	मिज़ोरम	3	13
18	नागालैंड	0	8
19	ओडिशा	35	150
20	पंजाब	49	75
21	राजस्थान	66	211
22	तमिलनाडु	24	86
23	तेलंगाना	39	108
24	त्रिपुरा	8	19
25	उत्तर प्रदेश	362	734
26	उत्तराखंड	6	43
27	पश्चिम बंगाल	71	151
	कुल	**1479**	**3466**

2.3.1 वित्त वर्ष 2023-24 में एसएफएसी से संबंधित योजना की मुख्य विशेषताओं का सारांश इस प्रकार है:

तालिका 2ग

क्र.सं.	मुख्य निष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 23-24 में उपलब्धियां	संचित उपलब्धियां (मार्च, 24 तक)
1	पंजीकृत एफपीओ की संख्या	1479	3466
2	कुल इक्विटी अनुदान जारी किया गया (रुपए/करोड़)	48.46	73.57
3	कुल इक्विटी अनुदान प्राप्त करने वाले एफपीओ की संख्या	1013	1658
4	कुल एफपीओ प्रबंधन के लिए जारी लागत (रुपए/करोड़)	143.05	204.74
5	कुल सीबीबीओ प्रबंधन के लिए जारी लागत (रुपए/करोड़)	49.48	113.79
6	क्रेडिट गारंटी राशि के अंतर्गत शामिल एफपीओ की संख्या	67	198
7	संगठित शेयरधारकों की संख्या	393752	722161
8	ऋण गारंटी निधि (रुपए/करोड़)	13.59	36.49
9	एलएमएस उपयोगकर्ता	12204	12204

2.3.2 एफपीओ प्रबंधन लागत

इस योजना के अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को गठन के वर्ष से 3 वर्षों के दौरान विभिन्न चरणों में अधिकतम 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एफपीओ प्रबंधन लागत में पंजीकरण लागत, कार्यालय किराया और उपयोगिता शुल्क, के साथ, एफपीओ कार्यालय के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर सहित स्टेशनरी शुल्क और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023- 24 के दौरान, 1992 एफपीओ ने एसएफएसी से 143.05 करोड़ रुपये की एफपीओ प्रबंधन लागत का लाभ उठाया है। किस्तवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तालिका 2 घ

एफपीओ प्रबंधन लागत	लाभान्वित एफपीओ की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपए में)
पहली	1992	75.68
दूसरी	1421	36.39
तीसरी	669	17.34
चौथी	305	8.02
पाँचवीं	71	1.94
छठी	25	0.68

2.3.3. सीबीबीओ प्रबंधन लागत

सीबीबीओ के गठन और इनक्यूबेशन लागत, हैंडहोल्डिंग समर्थन और प्रचार गतिविधियों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक प्रति एफपीओ पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जानी है। इसमें आधारभूत सर्वेक्षण, किसानों को संगठित करना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, संपर्क दौरे आयोजित करना, व्यावसायिक सहायता, विपणन एवं प्रचार गतिविधियां, तथा अन्य अतिरिक्त व्यय आदि की लागत शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सीबीबीओ प्रबंधन लागत 104 सीबीबीओ को जारी एवं वितरित की गई राशि 49.48 करोड़ रुपये है।

2.3.4 इक्विटी अनुदान जारी करना

एफपीओ को इक्विटी अनुदान प्रति किसान सदस्य 2,000 रुपये तक के समतुल्य अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति एफपीओ 15.00 लाख रुपये है। यह इक्विटी अनुदान इक्विटी में सरकारी भागीदारी के रूप में नहीं है, बल्कि किसान सदस्यों की इक्विटी के रूप में एफपीओ के समतुल्य अनुदान के रूप में है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम 300 किसान-सदस्यों वाले एफपीओ इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों (संघ शासित प्रदेशों के ऐसे अन्य क्षेत्रों सहित) में 100 किसान-सदस्यों वाला एफपीओ पात्र होगा। एफपीओ को अधिकतम तीन (3) किस्तों में (पहले आवेदन के 4 वर्ष की अवधि के भीतर और सीबीबीओ की हैंड होल्डिंग अवधि के भीतर) समतुल्य इक्विटी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 1013 एफपीओ को इक्विटी अनुदान जारी किया गया और जारी इक्विटी अनुदान की राशि 48.46 करोड़ रुपये है।

2.3.5 ऋण गारंटी निधि

मुख्यधारा के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए एफपीओ की पहुँच को सुगम बनाने के लिए, इस योजना में एक समर्पित ऋण गारंटी निधि (सी.जी.एफ.) का प्रावधान है। समर्पित ऋण गारंटी निधि (सी.जी.एफ.) का उद्देश्य एफपीओ को ऋण देने के लिए वित्तीय संस्थानों के जोखिम को कम करके एफपीओ को संस्थागत ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिए उपयुक्त ऋण गारंटी कवर प्रदान करना है, ताकि बेहतर व्यावसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उनकी वित्तीय क्षमता में सुधार सहित लाभ में वृद्धि हो। 31.03.2024 तक, एसएफएसी के कुल 198 एफपीओ ने क्रेडिट गारंटी सुविधा का लाभ उठाया है, जिनमें से 67 एफपीओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इसका लाभ उठाया। विवरण इस प्रकार हैं:

तालिका 2ड़

क्र.सं.	विवरण	कुल (मार्च 2024 तक)	वित्त वर्ष 23-24 में प्रगति
1	एफपीओ को शामिल किया गया	198	67
2	क्रेडिट गारंटी जारी	198	67
3	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए में)	36.49	13.59
4	गारंटी कवर (करोड़ रुपए में)	31.91	11.88

2.4 एकीकृत एमआईएस पोर्टल का विकास

योजना के लिए एक एकीकृत एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है। सभी कार्यान्वयन एंजेसियां, सीबीबीओ और एफपीओ निरंतर एमआईएस पर विवरण को अद्यतन कर रहे हैं। एमआईएस में एफपीओ का आवंटन और पंजीकरण, किसान शेयरधारक डेटाबेस, एफपीओ को जारी की गई धनराशि, क्रेडिट श्रृखंला, बाजार श्रृखंला, निवेश अधिकार, वित्तीय जानकारी जैसे लेन-देन संबंधी विवरण शामिल होते हैं, इत्यादि ।

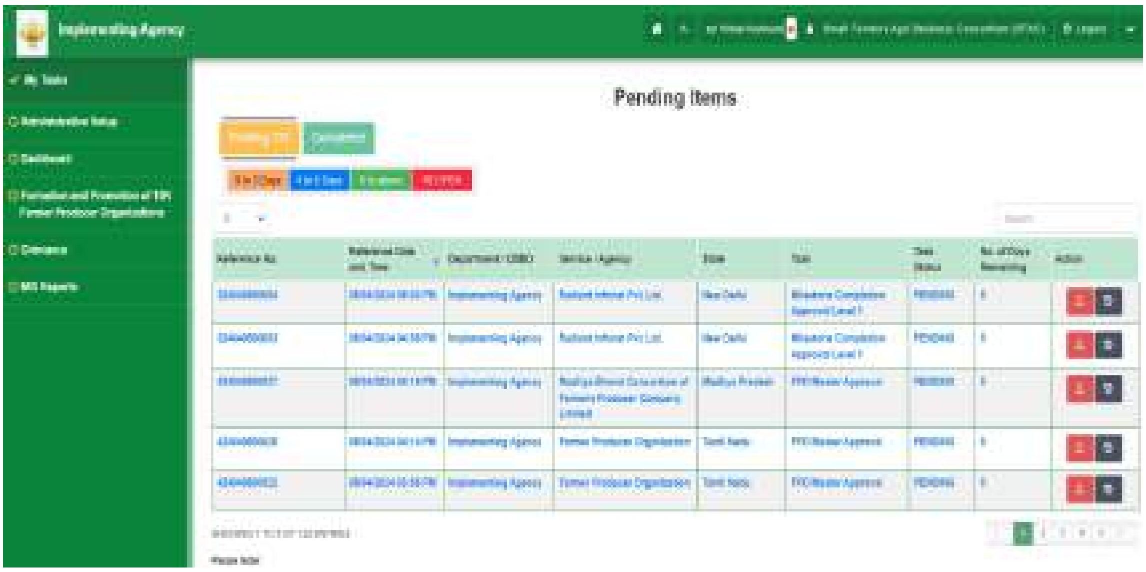

2.5 लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एसएफएसी ने **10,000** एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्रदान करने के लिए एनईजीडी के साथ साझेदारी की है। एलएमएस को योजना के प्रावधानों जैसे फसल-विशिष्ट प्रशिक्षण, संगठन प्रशासन, वित्त तक पहुंच, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण, विपणन, लेखांकरण, अनुपालन आवश्यकता और एमआईएस जैसे संबंधित विषयों को शामिल करने के लिए परिकल्पित किया गया है जो एफपीओ के संवर्धन के लिए उचित हो सकता है। इसमें सर्वोत्तम विधियों वाले केस स्टीडज मामले भी सम्मिलित है। एलएमएस का लिंक https://10kfpo.lms.gov.in/. है।

इस वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड भी विकसित किया गया ताकि कार्यान्वयन एजेंसी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने सीबीबीओ/एफपीओ/किसान सदस्यों के उपयोगी आकड़ों की समीक्षा कर सकें।

वर्ष 2023-2024 के दौरान कुल 24,592 सदस्य एलएमएस में पंजीकृत थे, जिनमें निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखाकार एवं शेयरधारक शामिल हैं। इनमें से 12204 उपयोगकर्ता एसएफएसी द्वारा प्रवर्तित एफपीओ थे।

2.6 बाज़ार तक पहुँच

एफपीओ को पारंपरिक मंडी प्रणाली या स्थानीय बाजारों के बाहर विभिन्न विपणन प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंच सकें और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें । वर्तमान में, एफपीओ और किसानों के लिए तीन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे ई-नाम, ओएनडीसी और जीईएम उपलब्ध हैं। प्रमुख अद्यतन इस प्रकार हैं:

- 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत ई-नाम पोर्टल पर 1,072 एफपीओ को व्यापार के लिए पंजीकृत किया गया है।
- एफपीओ उत्पादों की कुल 110 श्रेणियों को जीईएम पोर्टल पर चिन्हित किया गया है, जिनमें से 215 एफपीओ ने अपने उत्पादों को शामिल किया है एवं पोर्टल पर विभिन्न एफपीओ द्वारा 3.92 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है।

2.6.1 एफपीओ प्रदर्शनियां (एसएफएसी)

वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 44 एफपीओ प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं, जहां एसएफएसी के 744 एफपीओ ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया और 65 लाख से अधिक की बिक्री हासिल की। ये मेले देश भर में अनेक स्थानों पर आयोजित किए गए तथा चालू वित्त वर्ष 2024-25 में और अधिक मेले आयोजित किए जाने की आशा है। आयोजित प्रदर्शनी की विस्तृत सूची **अनुलग्नक-2** पर उपलब्ध है।

2.6.2 ओ.एन.डी.सी

ओएनडीसी डिजिटल वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जो बड़े और छोटे उद्यमों को इस क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाती है। ओएनडीसी विकल्पों को बढ़ाकर, उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला कुशलता और लेनदेन लागत को काफी कम करके डिजिटल बाज़ार में बड़े पैमाने पर खरीदार और विक्रेता की भागीदारी के साथ एक परिवर्तनात्मक वातावरण के निर्माण का समर्थन कर रहा है। यह खुला नेटवर्क छोटे व्यापारियों, किराना दुकानों और एमएसएमई के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने में एक प्रमुख प्रवर्तक होगा तथा इस प्रकार यह डिजिटल इंडिया के विज़िन का हिस्सा बन जाएगा। ओ.एन.डी.सी. के विभिन्न लाभ क्षेत्रों में डोमेन, सामाजिक-आर्थिक स्तरों, भौगोलिक स्थान भारतीय व्यापारिक माहौल और आर्थिक विकास में आत्मनिर्भता को प्रोत्साहित करेगा।

इस संदर्भ में एसएफएसी और ओएनडीसी कृषि एवं किसान समूह के डिजिटलीकरण को सक्षम/बढ़ाने की दिशा में एक कार्यक्रमगत दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। इससे इन उद्यमों के लिए बाजार तक पहुंच में पर्याप्त वृद्धि होगी और उनके संचालन की कुशलता में सुधार आएगा।

31.03.2024 तक 5,000 से अधिक उत्पादों के साथ 5,703 एफपीओ को ओएनडीसी पोर्टल पर शामिल किया गया है। पोर्टल पर विभिन्न एफपीओ द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया है।

2.6.3 अन्य विपणन गतिविधियाँ:

एफपीओ को बेहतर बाजार के लिए ऑनलाइन व्यापार की तकनीक ई-नाम के माध्यम से विभिन्न कृषि उत्पादों के अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की जा रही है। 2023-24 के दौरान, ई-नाम पर 1110 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं, जिससे कुल एफपीओ की संख्या 3685 हो गई है। 31.03.2024 तक, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 830 एफपीओ ने ई-नाम पर कारोबार किया है और 86,828 मीट्रिक टन के व्यापार मात्रा के साथ 154.20 करोड़ रुपये का व्यापार मूल्य प्राप्त किया है।

2.7 विभिन्न हितधारकों हेतु निगरानी ऐप का विकास

निरीक्षण ऐप और निगरानी (सीबीबीओ) ऐप को विनियमों और मानकों के पालन की जाँच करके जमीनी स्तर पर 10,000 एफपीओ योजना के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा के लिए विकसित किया गया था। यह बदले में, सुधार अथवा संवर्द्धन हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करने में मदद करता है। निरीक्षण अधिकारी मंत्रालय के 14वीं कार्यान्वयन एजेंसियों, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), और राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) और सीबीबीओ के डोमेन विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऐप निरीक्षण अधिकारी/सीबीबीओ विशेषज्ञों द्वारा वास्तविक समय पर एफपीओ के परिचालन और लेनदेन डेटा को अधिकृत करते हैं।

निगरानी ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस प्रकार है:-

- एंड्रॉइड प्ले स्टोर: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logimetrix.inspection
- एप्पल ऐप स्टोर: https://apps.apple.com/in/app/sfac/id6477693638

2.8 प्रमुख हितधारकों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एसएफएसी द्वारा 12 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य सीबीबीओ और एफपीओ से प्राप्त समझ और अनुभवों को साझा करना था। कार्यशाला में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 15 कार्यान्वयन एजेंसियों के सचिव, आयुक्त और निदेशक (कृषि) शामिल हुए जिनमें सफल सीबीबीओ/एफपीओ द्वारा एफपीओ में गतिशीलता, बी2बी और बी2सी बाजार संपर्कों को सक्षम करने के लिए एक चैनल के रूप में ओएनडीसी, एफपीओ द्वारा स्थानीय मूल्यवर्धन के परिवर्तनात्मक उदाहरण, योजना के तहत गारंटी का लाभ उठाने वाले एफपीओ के मामलों के अध्ययन सहित ऋण गारंटी योजना पर प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यशाला का समापन एक खुले सत्र के साथ हुआ, जहां योजना के प्रमुख परिचालन पहलुओं पर चर्चा की गई।

2.9 10,000 एफपीओ योजना में सोशल मीडिया की उपस्थिति

इस वर्ष एसएफएसी द्वारा सोशल मीडिया पर भी काफी प्रचार-प्रसार किया गया, जहां बड़े पैमाने पर एफपीओ उत्पादों का प्रचार-प्रसार हुआ। एसएफएसी ने अपने ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन चैनल के माध्यम से अपने एफपीओ उत्पादों की व्यापक पहुंच बनाई है, और एफपीओ की दृश्यता में वृद्धि हुई है।

सोशल मिडिया नियत्रंण के लिंक इस प्रकार है:

- https://twitter.com/sfacindia
- https://www.facebook.com/sfacindia/
- https://www.instagram.com/sfacindia/
- https://www.linkedin.com/company/sfacindia/
- https://www.youtube.com/@sfacindiaofficial

अध्याय-3

मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन और संवर्धन

3.1 एसएफएसी, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। मत्स्य पालन विभाग ने कंपनी मॉडल के तहत 50 मछली एफपीओ के लिए 2100 लाख रुपये और सहकारी मॉडल के तहत 500 मछली एफपीओ के लिए 11000 लाख रुपये स्वीकृत और आवंटित किए हैं। कंपनी मॉडल के तहत मत्स्य एफपीओ के लिए परियोजना लागत 42.00 लाख रुपये है, जबकि सहकारी मॉडल के लिए 22.00 लाख रुपये है। इस योजना के अंतर्गत शामिल अंतर्देशीय राज्य अर्थात बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा है। एफएफपीओ के लिए प्रस्तावित प्रमुख गतिविधियां जलीय कृषि का विकास, हैचरी का विकास, कोल्ड स्टोरेज, मछली बीज फार्म और मछली चारा मिलों/संयंत्रों का निर्माण, जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना, मछली प्रसंस्करण इकाई और मछली उत्पादन/उत्पादकता/मूल्य बढ़ाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप होंगी।

3.2 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, एसएफएसी द्वारा कंपनी मॉडल के तहत पदोन्नत संबंधित एफपीओ के प्रत्येक एफपीओ को इक्विटी अनुदान के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत के लिए 12 लाख रुपये और एफपीओ प्रमोशन और इन्क्यूबेशन लागत के लिए 20 लाख रुपये प्रदान किया जा रहा है। । इसी प्रकार, सहकारी मॉडल के तहत पदोन्नत किए गए संबंधित एफएफपीओ के लिए प्रत्येक सोसायटी को इक्विटी अनुदान के लिए 10 लाख रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत के लिए 5 लाख रुपये और एफपीओ प्रमोशन और इन्क्यूबेशन लागत के लिए 7 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।

3.3 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, एसएफएसी ने कंपनी अधिनियम के तहत 18 एफएफपीओ को 59.67 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान, 38 एफएफपीओ को 114.0 लाख रुपये की एफपीओ प्रमोशन और इनक्यूबेशन लागत और 34 एफएफपीओ को 133.58 लाख रुपये की एफपीओ प्रबंधन लागत का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान की है। एफएफपीओ ने 2023-24 के दौरान कुल 307.25 लाख रुपये के अनुदान का लाभ उठाया।

3.4 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, एसएफएसी ने 33 एफएफपीओ सोसायटियों को 147.32 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान, 398 एफएफपीओ सोसायटियों को 460.6 लाख रुपये की एफपीओ संवर्धन और इनक्यूबेशन लागत एवं 271 एफएफपीओ सोसायटियों को 355.01 लाख रुपये की एफपीओ प्रबंधन लागत का लाभ उठाने में मदद की है। एफएफपीओ सोसायटियों ने वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 962.93 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया।

3.5 एसएफएसी ने मछली उत्पादन/कटाई के बाद/मूल्य संवर्धन/भंडारण आदि पर मछली पालकों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाने के लिए एफएफपीओ को सुविधा प्रदान करने में भी मदद की है। यह प्रशिक्षण अग्रणी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे; राष्ट्रीय मत्स्य पालन संस्थान, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण (निफफेट), सीआईएफए, राज्य मत्स्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत मत्स्य पालन महाविद्यालय, मत्स्य अनुसंधान संस्थान आदि में दिया जाता है। यह प्रशिक्षण एफपीओ के स्थान और परिसर में प्रशिक्षण के दौरान भी दिया जाता है।

3.6 कुल 42 एफएफपीओ और 38 मछली सहकारी समितियां बी2बी और बी2सी बाजार संपर्क के लिए अपने उत्पादों के साथ ओएनडीसी पर शामिल हैं।

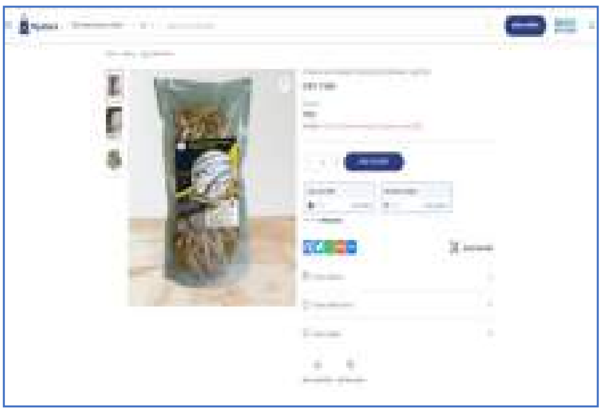
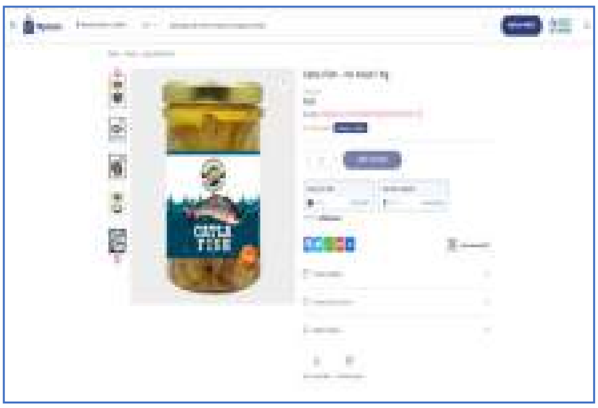

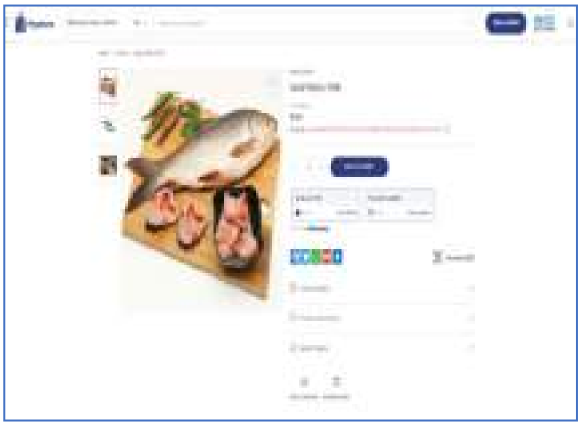

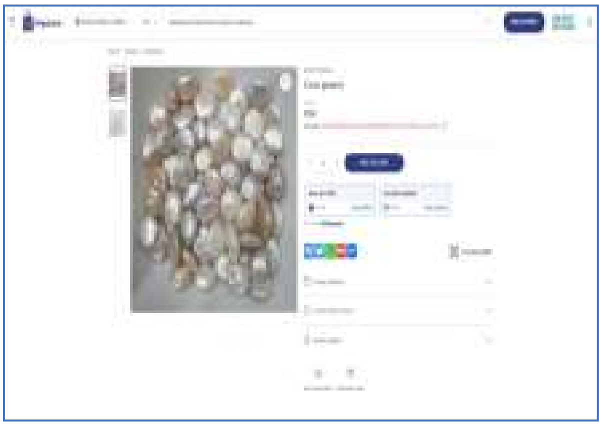

3.7 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)/मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे का विकास तथा अन्य योजनाओं के तहत एफएफपीओ और सहकारी एफएफपीओ समितियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे हैचरी इनपुट की खरीद और बिक्री, मछली बीज खरीद और बिक्री, ताजा मछली व्यापार, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक व्यापार, मछली पालन, मछली अचार, मिनी कोल्ड स्टोरेज और अन्य बुनियादी ढांचे में शामिल करने का प्रस्ताव है।

3.8 एफएफपीओ (कंपनी मॉडल और सोसायटी मॉडल) अपने किसानों को इक्विटी अनुदान प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों को संगठित करके, प्रभावी मछली पालन व्यवसाय के लिए एलएमएस प्रशिक्षण, क्रेडिट लिंकेज, और मछली किसानों को उनकी आय, उत्पादकता, लाभप्रदता और समग्र स्थिरता बढ़ाने के लिए बाजार लिंकेज द्वारा अपने किसानों का समर्थन करने के लिए विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तावित व्यवसाय योजना के अनुसार 25% कुल बिक्री प्राप्त करने के अतिरिक्त ये अन्य अनुपालन हैं।

अध्याय-4

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत समर्थित किसान उत्पादक संगठन

4.1 एसएफएसी राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संस्थापक सदस्य है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) (2020) के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएफएसी, मिशन के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। शहद एफपीओ को अनुदान का उद्देश्य शहद किसानों और एफपीओ को शहद मधुमक्खी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए जागरूक करना है ताकि किसानों और एफपीओ के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न हो सके। एनबीएचएम (मिनी मिशन- I और II) के तहत एनबीबी अनुदान के लिए एसएफएसी द्वारा 13 एफपीओ को समर्थन और बढ़ावा दिया गया है। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 452.185 लाख रुपये है। इन 13 एफपीओ द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां मधुमक्खी बॉक्स निर्माण, संग्रह, शहद की ब्रांडिंग और विपणन, शहद और अन्य मधुमक्खी के छत्तों के उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और शहद परीक्षण प्रयोगशाला हैं।

राज्य	एफपीओ की संख्या	गतिविधि
उत्तराखंड	5	शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का संग्रह, व्यापार, ब्रांडिंग और विपणन
झारखंड	2	
पंजाब	1	
छत्तीसगढ़	1	
छत्तीसगढ़	1	मधुमक्खी पालन उपकरण विनिर्माण इकाइयों की स्थापना
छत्तीसगढ़	2	शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पाद प्रसंस्करण
उत्तर प्रदेश	1	शहद और अन्य मधुमक्खी छत्तों के उत्पाद प्रसंस्करण, परीक्षण प्रयोगशाला, शीत भंडारण और संग्रहण, व्यापार, ब्रांडिंग, विपणन

इसके अतिरिक्त, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 6 एफपीओ को एनबीएचएम मिनी मिशन- II (शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का संग्रह, व्यापार, ब्रांडिंग, विपणन आदि) के तहत एनबीबी अनुदान के लिए एसएफएसी द्वारा समर्थित और बढ़ावा दिया जाता है। इन एफपीओ की मंजूरी लागत 261.21 लाख रुपये है। ये 6 एफपीओ इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

4.2 इसके अलावा एनबीबी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश (केवीके अलवर, केवीके लखनऊ और केवीके ग्वालियर) में शहद एफपीओ के लिए तीन राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए एनबीएचएम के तहत 11.25 लाख रुपये मंजूर किए हैं। उन्नत मधुमक्खी पालन प्रौद्योगिकियों पर सेमिनार से कुल 1050 शहद किसान, शहद एफपीओ सदस्य और अन्य किसान लाभान्वित हुए हैं।

4.3 एनबीबी ने वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और शहद की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रचार/प्रकाशन के लिए एनबीएचएम के तहत 18.00 लाख रुपये मंजूर किए हैं। एसएफएसी ने 2023-24 के दौरान ट्विटर, फेसबुक, पब्लिक ऐप इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से एफपीओ के विभिन्न स्वाद वाले शहद, शहद और अन्य मधुमक्खी के छत्ते के मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा दिया था। कुल 9793 पोस्ट साझा किए गए, जिससे एफपीओ के पास प्रामाणिक और शुद्ध शहद उत्पादों की उपलब्धता के बारे में जनता और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा हुई और शहद किसानों की आय में वृद्धि हुई।

sfacindia
August 15
शुद्ध शहद के सेवन से कई फायदे
इम्युनिटी बूस्टर
एंटीबैक्टीरियल व एंटीफंगल गुण
पाचन तंत्र के लिए लाभकारी
त्वचा की देखभाल में लाभकारी
ORDER NOW
@sfacindia
Buy Pure - Buy from FPO Farmers
Liked by nutankher

sfacindia
20h
Honey Oats Cookies
A Blend of Sweetness, Crunchiness & Nutrition
ORDER NOW
Scan QR Code to order
www.mystore.in
@sfacindia
Buy Pure – Buy from FPO Farmers

sfacindia
June 16
BEE
BALANCED
ORDER NOW
Buy Pure – Buy from FPO Farmers
Liked by nageshverma77 and others

sfacindia
August 10
शुद्ध शहद कॉम्बो पैक
सीधे मधुमक्खीपालक FPO से
ORDER NOW
@sfacindia
Buy Pure - Buy from FPO Farmers
Liked by pareshpaldiya7 and others
sfacindia शुद्ध शहद का कॉम्बो पैक - बिना किसी प्रोसेसिंग के, सीधे छत्ते से आपके घर तक। ताजा, गुणों से भरपूर व शुद्ध मिठा... more

उपरोक्त सभी शहद एफपीओ ओएनडीसी पोर्टल पर शामिल हैं और उन्होंने बी2बी और बी2सी विपणन लिंकेज के लिए अपने उत्पाद अपलोड कर दिए हैं।

अध्याय-5

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार

5.1 योजना अवलोकन

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल है, जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए एक आभासी मंच के माध्यम से मौजूदा भौतिक एपीएमसी के लिए नेटवर्क है। ई-नाम एक "आभासी" बाजार है, लेकिन इसके पीछे एक भौतिक बाजार (मंडी) है। नाम पोर्टल सभी एपीएमसी से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं की आवक, गुणवत्ता और कीमतें, खरीद और बिक्री के प्रस्ताव, व्यापार प्रस्तावों का जवाब देने का प्रावधान और किसानों के खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शामिल हैं। जबकि सामग्री प्रवाह (कृषि उपज) मंडियों के माध्यम से होता रहेगा, ऑनलाइन बाजार का उद्देश्य लेनदेन की लागत को कम करना, सूचना विषमता को पाटना और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच का विस्तार करने में मदद करना है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) को ई-नाम की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है।

5.2 योजना का प्रारूप:

5.2.1 ई-नाम को अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसका प्रबंधन प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी यानी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाएगा, जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए बाजारों को नेटवर्क करेगा। किसानों/विक्रेताओं का एकमुश्त पंजीकरण, प्रवेश द्वार पर लॉट विवरण, वजन, गुणवत्ता परख, नीलामी/व्यापार लेनदेन, खरीदार द्वारा विक्रेताओं को भुगतान और लेनदेन की श्रृंखला में शामिल अन्य एजेंसियां ई-नाम पर ऑनलाइन होंगी। वास्तविक सामग्री प्रवाह बाजार के माध्यम से भौतिक रूप से होगा। ई-नाम पर व्यापार के लिए चयनित कृषि वस्तुओं की पूरी आवक को केवल ऑनलाइन माना जाएगा।

5.2.2 ई-नाम के लिए केंद्रीकृत विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसे राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाले प्रत्येक बाजार को निशुल्क में दिया जाता है। प्रत्येक राज्य के प्रासंगिक विपणन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक अनुकूलन भी किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग संबंधित उपकरण/बुनियादी ढांचे के लिए प्रति मंडी 75.00 लाख रुपये की सीमा के अधीन एकमुश्त निश्चित लागत अनुदान देता है। प्रारंभ में कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट सुविधा, परख उपकरण के लिए प्रति मंडी 30.00 लाख रुपये एकमुश्त निश्चित अनुदान के रूप में आवंटित किए जाते हैं, जबकि

छंटाई, ग्रेडिंग, सफाई और पैकेजिंग जैसी सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त 40.00 लाख रुपये प्रति मंडी स्वीकृत किए जाते हैं और जैविक-खाद इकाई के लिए 5.00 लाख रुपये प्रति मंडी आवंटित किए जाते हैं।

इसके अलावा, मंडी कर्मचारियों की सहायता के लिए एक वर्ष के लिए जमीनी स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, रणनीतिक साझेदार द्वारा किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और मंडी अधिकारियों के लाभ के लिए सालाना दो प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

5.2.3 इस योजना के तहत 23 राज्यों और 04 केंद्र शासित प्रदेशों में 1389 विनियमित कृषि मंडियों में एक मजबूत साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म स्थापित और तैनात किया गया है।

5.3 ई-नाम में शामिल होने के लिए अनिवार्य विपणन सुधार:

ई-नाम ने योजना के तहत धन और सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य एपीएमसी अधिनियम में 3 सुधारों को अनिवार्य बनाया है। ये सुधार इस प्रकार हैं:

क) एकल एकीकृत व्यापार लाइसेंस,

ख) ई-ट्रेडिंग और

ग) बाजार शुल्क का एकल बिंदु शुल्क

5.4 ई-नाम के उद्देश्य:

ई-नाम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अधिक बाजारों को एकीकृत करके तथा राज्य के भीतर अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार को बढ़ावा देकर ई-नाम का विस्तार और समेकन करना;
- ई-नाम के माध्यम से भांडागार आधारित बिक्री (डब्ल्यूबीएस) और परक्राम्य भांडागार रसीद व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना;
- किसानों और एफपीओ को लाभ प्रदान करने के लिए नए मॉड्यूल को सक्रिय रूप से औपचारिक रूप देना।
- किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी/आरएमसी मंडियों से परे ई-नाम प्लेटफार्म खोलना।
- अंतर-मंडी और अंतर-राज्य ई-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता परख प्रणाली को मजबूत करना तथा व्यापार के लिए विश्वसनीय ग्रेड-मानक विकसित करना; तथा
- बाजार में और अधिक मांग पैदा करने तथा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिक व्यापार के साथ-साथ द्वितीयक व्यापार भी ई-नाम के माध्यम से किया जाएगा।

5.5 किसानों को लाभ

क) किसान मंडी में जाने से पहले ही ई-नाम मोबाइल एप्लीकेशन पर मौजूदा जिंसों के मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ख) किसान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी उपज का लाइव ऑनलाइन बोली मूल्य देख सकते हैं।

ग) जिंसों की अंतिम बोली दर का विवरण किसान को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होता है।

घ) किसानों के बैंक खातों में सीधे बोली मूल्य हस्तांतरित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे उपलब्ध है।

ङ) पीक सीजन के दौरान, लॉट की त्वरित गेट एंट्री की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉट के पूर्व-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

च) किसान अपनी उपज को कई बाजारों में बेच सकते हैं।

छ) ई-नाम देश भर में खरीदारों/व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।

ज) गुणवत्ता परख मापदंडों के आधार पर कीमतें।

ई-नाम प्रक्रिया प्रवाह

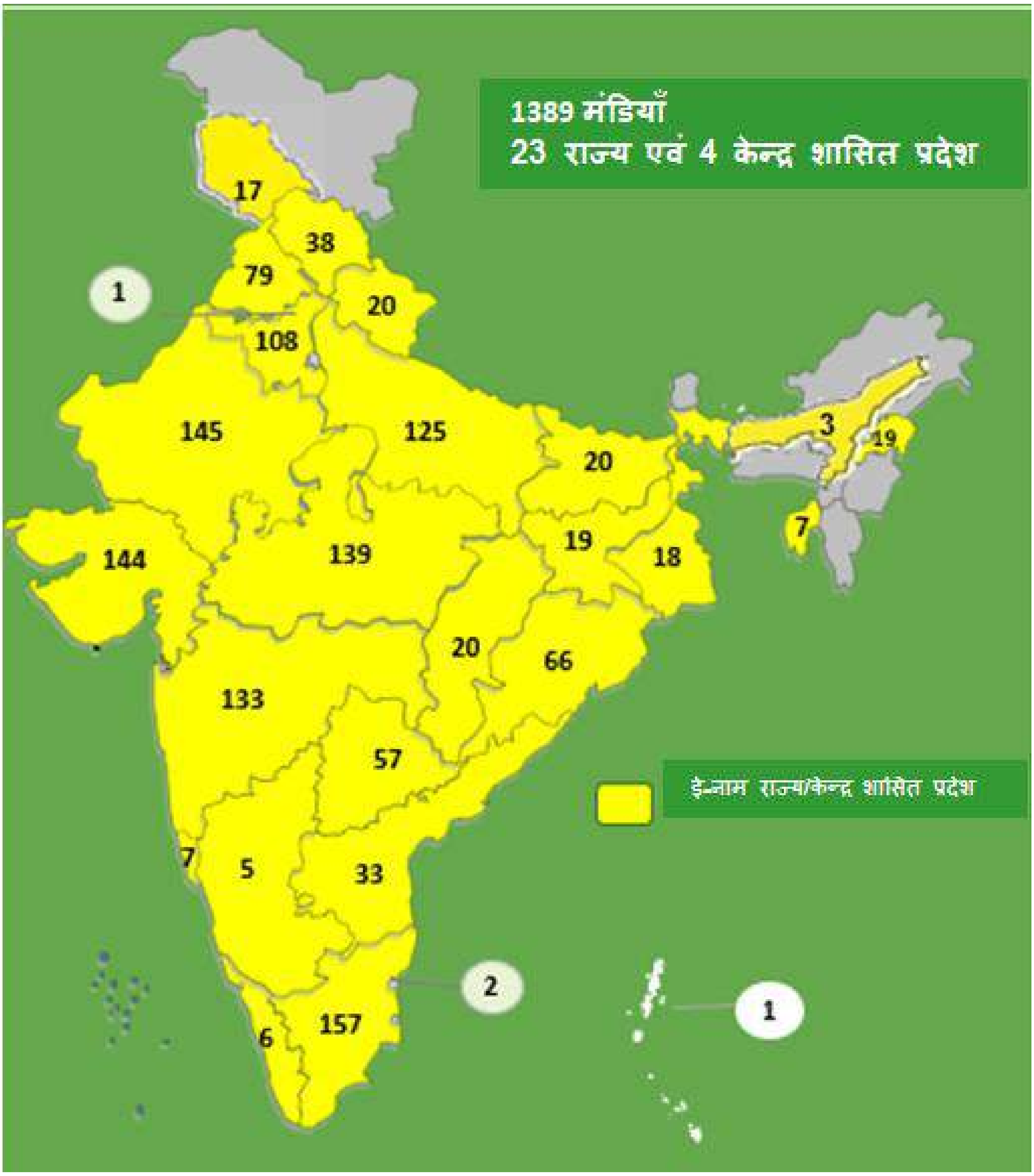
1389 मंडियाँ
23 राज्य एवं 4 केन्द्र शासित प्रदेश
ई-नाम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
17
38
79
1
20
108
145
125
20
3
19
144
139
19
18
7
20
66
133
57
7
5
33
2
1
6
157

तालिका 5 क

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	मंडियाँ एकीकृत (31.03.2024 तक)
	राज्य	
1	आन्ध्र प्रदेश	33
2	असम	3
3	बिहार	20
4	छत्तीसगढ़	20
5	गुजरात	144
6	गोआ	7
7	हरियाणा	108
8	हिमाचल प्रदेश	38
9	झारखंड	19
10	कर्नाटक	5
11	केरल	6
12	मध्य प्रदेश	139
13	महाराष्ट्र	133
14	नागालैंड	19
15	ओडिशा	66
16	पंजाब	79
17	राजस्थान	145
18	तमिलनाडु	157
19	तेलंगाना	57
20	त्रिपुरा	7
21	उत्तर प्रदेश	125
22	उत्तराखंड	20
23	पश्चिम बंगाल	18
	संघ राज्य क्षेत्र	
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1
2	चंडीगढ़	1
3	जम्मू एवं कश्मीर	17
4	पुदुचेरी	2
	कुल	**1389**

SFAC लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

तालिका 5ख : निष्पादन- एक नज़र में (31 मार्च 2024 तक)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष (2023-24)	स्थापना से 31 मार्च, 2024
क.	**हितधारकों का पंजीकरण**		
	ई-नाम पर पंजीकृत किसानों की संख्या (संख्या में)	1.91 (लाख)	1.77 (Cr)
	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या (संख्या में)	13,641 (संख्या)	2.57 (लाख)
	पंजीकृत कमीशन एजेंटों की संख्या (संख्या में)	3,039	1.12 (लाख)
	पंजीकृत एफपीओ की संख्या (संख्या में)	1110	3685
ख.	**व्यापार रिकॉर्ड किया गया**		
	मात्रा में दर्ज कुल व्यापार (करोड़ मीट्रिक टन)	1.94	9.44
	कुल दर्ज व्यापार (करोड़ में)	10.29	33.54
	कुल दर्ज व्यापार मूल्य (करोड़ रु. में)	78,386	3,40,203
ग.	अधिसूचित वस्तुओं के व्यापार योग्य मापदंड (संख्या)	10	219

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मासिक व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये) और मात्रा (लाख मीट्रिक टन और लाख संख्या)

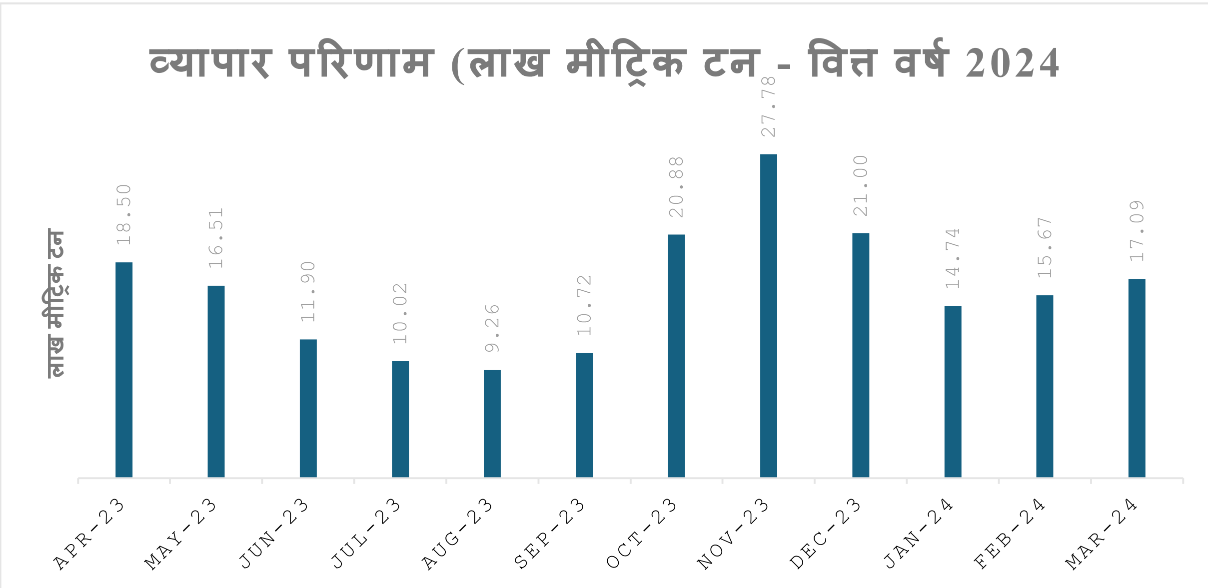

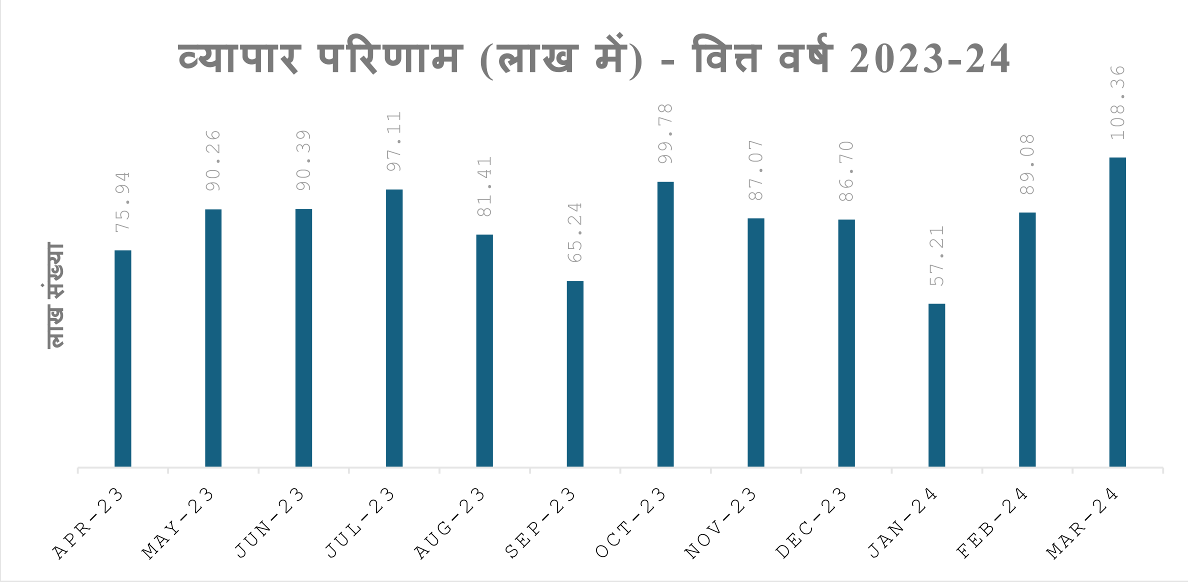

*बांस, पान, नारियल, नीम्बू, स्वीट कॉर्न

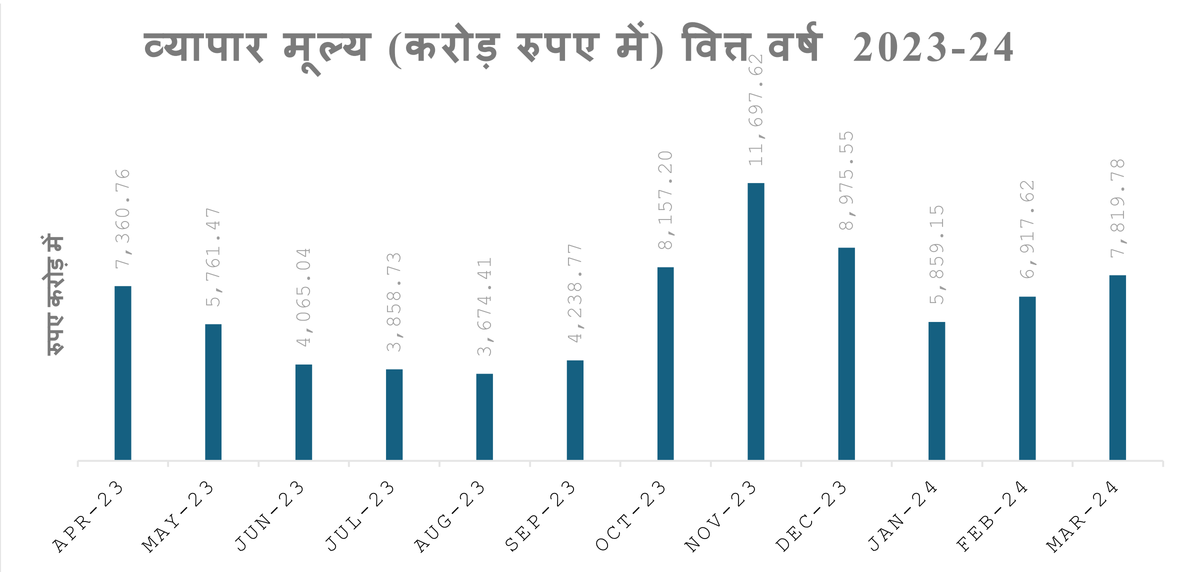

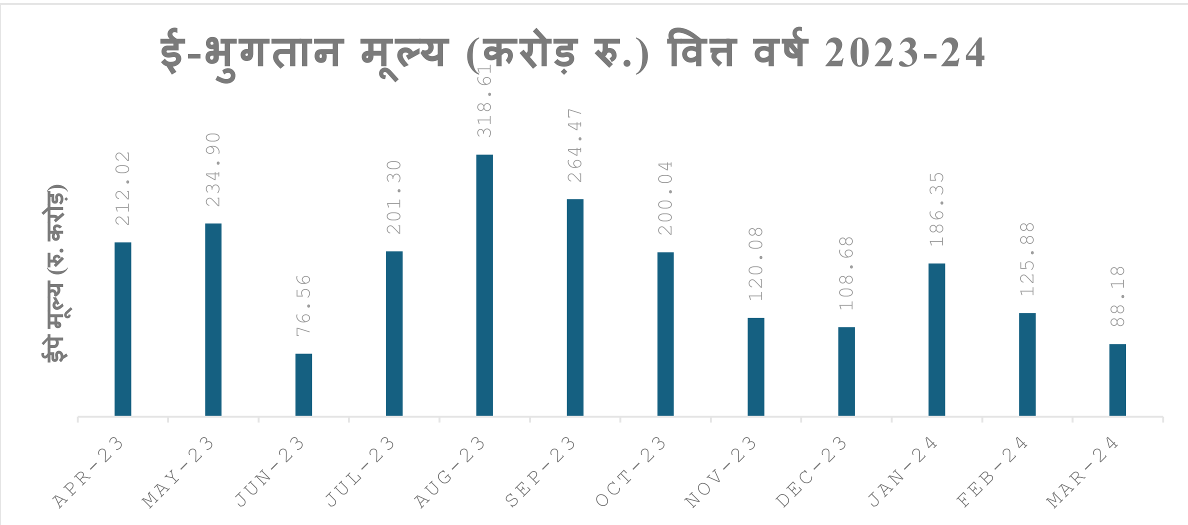

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

तालिका 5ग : वित्त वर्ष 2023-24 में ई-नाम पर अंतर-राज्यीय व्यापार

क्रेता राज्य	विक्रेता राज्य	लॉट की संख्या	व्यापार परिणाम (मात्रा)	कुल व्यापार मूल्य (रुपए में)
आन्ध्र प्रदेश	महाराष्ट्र	68	39,325.00	7,67,93,860.00
आन्ध्र प्रदेश	तमिलनाडु	898	3,762.06	2,33,45,142.81
बिहार	महाराष्ट्र	37	11,290.00	2,51,69,762.50
चंडीगढ़	महाराष्ट्र	3	907.50	18,61,282.50
गुजरात	जम्मू एवं कश्मीर	2	0.00	7,175.00
गुजरात	महाराष्ट्र	9	2,427.32	43,94,355.00
हरियाणा	जम्मू एवं कश्मीर	1	0.12	14,400.00
हरियाणा	महाराष्ट्र	21	6,360.00	1,38,20,055.00
हिमाचल प्रदेश	हरियाणा	22	925.00	44,36,820.00
जम्मू एवं कश्मीर	महाराष्ट्र	1	302.50	5,14,250.00
झारखंड	बिहार	1	62.50	2,00,000.00
झारखंड	जम्मू एवं कश्मीर	39	2,007.12	1,31,73,931.00
झारखंड	महाराष्ट्र	60	22,325.00	4,35,70,310.00
झारखंड	उत्तर प्रदेश	2	100.00	81,250.75
झारखंड	उत्तराखंड	1	98.80	2,96,400.00
कर्नाटक	महाराष्ट्र	8	2,420.00	59,49,872.50
केरल	जम्मू एवं कश्मीर	5	0.00	8,118.00
केरल	महाराष्ट्र	73	686.26	54,01,938.98
केरल	तमिलनाडु	3	13.41	1,11,732.05
मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	246	1,313.18	79,92,260.98
नागालैंड	महाराष्ट्र	5	1,511.00	40,89,500.00
ओडिशा	जम्मू एवं कश्मीर	1	200.00	13,00,000.00
ओडिशा	झारखंड	2	25.75	77,256.00
ओडिशा	महाराष्ट्र	3	907.50	20,88,157.50
पुदुचेरी	तमिलनाडु	1851	5,503.26	4,05,62,979.83
पंजाब	महाराष्ट्र	45	16,355.00	3,10,24,477.50
राजस्थान	जम्मू एवं कश्मीर	4	103.51	6,19,451.87
तमिलनाडु	महाराष्ट्र	38	8,324.22	1,92,12,984.10
तमिलनाडु	पुदुचेरी	90	351.00	27,65,752.47
तमिलनाडु	तेलंगाना	6	111.69	13,17,293.41
उत्तर प्रदेश	असम	1	0.01	1,500.00
उत्तर प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	29	39.91	1,09,136.00
उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र	71	23,721.50	5,15,80,055.50
उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	77	310.15	4,16,745.00
उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश	806	18,447.80	2,11,80,796.52
पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र	30	9,685.00	2,15,21,972.50
कुल योग		**4560**	**1,79,923.09**	**42,50,10,975.30**

तालिका 5 घ : वित्त वर्ष 2023-24 में ई-नाम पर अंतर-मंडी व्यापार

क्र.सं.	राज्य	सम्मिलित मंडियाँ	व्यापार परिणाम (मीट्रिक टन)	व्यापार परिणाम (संख्या में*)	कुल व्यापार मूल्य का योग (रु. लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	13	4,300.85		2,845.19
2	छत्तीसगढ़	7	22,220.68		4,425.77
3	हरियाणा	28	57,601.06		24,112.79
4	हिमाचल प्रदेश	2	0.73		0.14
5	जम्मू एवं कश्मीर	9	1,215.06	26,850	818.33
6	झारखंड	3	10.76		0.87
7	केरल	4	0.11		0.13
8	महाराष्ट्र	5	16,478.85		8,573.64
9	नागालैंड	2	1.00		1.10
10	ओडिशा	66	14,121.33	1,82,33,013	3,697.83
11	राजस्थान	32	269.22		92.06
12	तमिलनाडु	154	3,34,855.00	4,89,028	1,11,701.96
13	तेलंगाना	29	16,726.17		8,764.30
14	उत्तर प्रदेश	21	2,262.09		562.65
15	उत्तराखंड	17	2,789.00		388.36
16	पश्चिम बंगाल	17	1,242.37		127.73
कुल		**409**	**4,74,094.26**	**1,87,48,891**	**1,66,112.85**

$ ओडिशा में पान, नारियल, नींबू, स्वीट कॉर्न का कारोबार संख्या में हुआ

 # तमिलनाडु में नारियल का कारोबार संख्या में हुआ

5.6 ई-नाम की मुख्य विशेषताएं

5.6.1 किसान अनुकूल मोबाइल ऐप:

क) बहुभाषी (12 भाषाएँ)

ख) किसानों को 100 किलोमीटर के दायरे में निकटतम ई-नाम मंडी का पता लगाने में मदद करने के लिए जियो-टैग की गई ई-नाम मंडियाँ, साथ ही पिछले तीन दिनों में वस्तुओं के कारोबार की कीमत।

ग) पुश नोटिफिकेशन

घ) एडवांस गेट एंट्री

ङ) ट्रैक लॉट प्रगति नमूनाकरण

च) सैंपलिंग और परख सुविधा

छ) व्यापारी के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा

ज) भुगतान की रसीद पर एसएमएस अलर्ट

5.6.2 अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए एकीकृत व्यापार लाइसेंसिंग प्रणाली

यह सुविधा व्यापारियों के लिए उनके ई-नाम लॉगिन में अंतरराज्यीय व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे देश भर में ई-नाम मंडियों में भाग ले सकें।

5.6.3 ई-भुगतान के समय मंडी शुल्क में व्यापारियों को छूट

नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों ने डिजिटल लेनदेन पर छूट के प्रोत्साहन की शुरुआत की है। इस प्रकार, ई-भुगतान पर छूट सुविधा आधारित प्रचार प्रस्ताव भी ई-नाम पर पेश किए गए हैं। ऐसी प्रचार सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने के लिए, राज्य का एप्लिकेशन व्यवस्थापक एप्लिकेशन में वांछित छूट प्रतिशत निर्धारित कर सकता है और खरीदार द्वारा चुने गए ई-भुगतान मोड के मामले में; कॉन्फ़िगर की गई छूट सुविधाएँ ई-भुगतान करते समय मंडी शुल्क में ऐसे लाभों का लाभ उठाने के लिए लेनदेन में स्वचालित रूप से लागू होंगी।

5.6.4 स्वत: बिक्री समझौता

ई-नाम वर्कफ़्लो निष्पादन समय को कम करने के लिए ऑटो बिक्री समझौता सुविधा को जोड़ा गया है। इससे किसानों के लेन-देन के प्रतीक्षा समय में काफी कमी आई है।

5.6.5 ई-भुगतान सुविधाएँ

वर्तमान में ई-नाम पोर्टल आरटीजीएस/एनईएफटी, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसानों को सीधे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देता है। भीम के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सुविधा ने किसानों को भुगतान को आसान बनाने में मदद की है, क्योंकि इससे खरीदार के खाते से पूल खाते में भुगतान प्राप्ति का समय कम हो गया है और बदले में किसानों को भुगतान किया जा रहा है।

5.6.6 12 भाषाओं में वेबसाइट और मोबाइल ऐप

वेबसाइट और मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया गया है, जिससे विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों के हितधारकों को ई-नाम का लाभ उठाने में मदद मिली है। ये भाषाएँ हैं - हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओडिया, डोगरी, मलयालम और कन्नड़।

5.6.7 शॉपिंग कार्ट सुविधा

यह सुविधा व्यापारियों को दैनिक नीलामी से कई लॉट चुनने में सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। चुने जाने के बाद, एक शॉपिंग कार्ट बनाया जाएगा। इसके बाद, व्यापारी बोली प्रक्रिया में भाग लेने और तदनुसार भुगतान करने के लिए शॉपिंग कार्ट से चुनने का विकल्प चुन सकते हैं।

5.6.8 कई चालानों का समूहन

यह सुविधाप्रत्येक चालान का चयन करने और एक-एक करके भुगतान पूरा करने के बजाय व्यापारी को कई चालानों का चयन करने और सभी चालानों की संयुक्त राशि के लिए एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम बनाती है। इससे ऑनलाइन व्यापार समाप्त करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है और हितधारक को सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान किया गया है।

5.6.9 आंशिक भुगतान सुविधा

यह एक वैकल्पिक मॉड्यूल है। यह किसान/व्यापारी को चालान के आंशिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उसे पूर्ण भुगतान, मंडी शुल्क के साथ आंशिक ऑनलाइन भुगतान, मंडी शुल्क के बिना आंशिक ऑनलाइन भुगतान और मंडी शुल्क को छोड़कर पूर्ण ऑनलाइन भुगतान का विकल्प मिलता है।

5.6.10 किसान प्रोत्साहन सुविधा

यह सुविधा मंडियों को ऑनलाइन भुगतान तंत्र (मंडी शुल्क का %) चुनने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने में सक्षम बनाती है, ताकि वे अपनी संबंधित मंडी में ई-भुगतान को बढ़ावा दे सकें। राजस्थान में मंडावरी और जोधपुर मंडी में किसान प्रोत्साहन सुविधा का सफल पायलट परीक्षण किया गया और अब यह राजस्थान की सभी ई-नाम मंडियों के लिए उपलब्ध है।

5.6.11 मंडियों के लिए आईएमडी मौसम पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) से मौसम पूर्वानुमान की जानकारी को ई-नाम के साथ एकीकृत करना, ई- मंडियों और आस-पास के क्षेत्रों के लिए "वर्तमान दिन" पूर्वानुमान के साथ न्यूनतम और अधिकतम तापमान प्रदान करना है। यह मौसम संबंधी जानकारी किसानों को कृषि कार्यों की योजना बनाने और विपणन निर्णय लेने में मदद करेगी।

5.6.12 वास्तविक समय मूल्य प्रसार प्रणाली

'बाजार सूचना पृष्ठ' को सूचना के एकल स्रोत के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो किसानों को संबंधित राज्यों की ई-नाम मंडियों में कारोबार की जा रही वस्तुओं की वर्तमान कीमत प्रदान करता है।

ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म - ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (पीओपी) ढांचा ई-नाम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेडिंग, परख, परिवहन, वेयरहाउसिंग, फिनटेक, बाजार सूचना, छंटाई और ग्रेडिंग, कृषि इनपुट और सलाहकार सेवाओं को एकीकृत करना है, जो किसानों, एफपीओ, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से बड़े बाजार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा।

5.7 ई-नाम की नई विशेषताएं:

- **बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई)** डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो ई-नाम व्यापार जानकारी के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल प्रदान करता है। डैशबोर्ड सेंट्रल, मंडी बोर्ड और मंडी स्तर पर उपलब्ध है।
- **क्यूआर कोड इंटीग्रेशन का उपयोग करके गेट एंट्री:** यह सुविधा क्यूआर कोड इंटीग्रेशन के साथ गेट एंट्री की सुविधा प्रदान करती है। यह किसानों को क्यूआर-कोडेड एंट्री रसीदें स्वयं बनाने और गेट एंट्री प्रक्रिया को सरल बनाने में सक्षम बनाता है।

- **क्यूआर कोड द्वारा लॉट इनसाइट्स, एसेइंग सर्टिफिकेट, बोली लगाने की सुविधा:** यह सुविधा खरीदार को क्यूआर कोड को स्कैन करके लॉट जानकारी, गुणवत्ता परख प्रमाणपत्र तक पहुँचने और बोली लगाने में मदद करती है। यह सुविधा पारदर्शिता को बढ़ाने सहित समग्र बाजार कुशलता को बढ़ाती है।
- **कमीशन एजेंट (सीए) के लिए बिक्री अनुबंध और तौल पर्ची जनरेशन सुविधा:** यह सुविधा कमीशन एजेंटों को भाग लेने और तौल पर्ची और बिक्री अनुबंध बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे मंडी अधिकारियों और खरीदारों के लिए समय की बचत होती है।
- **कमीशन एजेंट (सीए) के लिए ई-भुगतान एक्सेस**: यह सुविधा कमीशन एजेंट को किसानों/एफपीओ को किसी भी उपलब्ध ई-मोड (यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड और नेटबैंकिंग) के माध्यम से खरीदारों की ओर से भुगतान शुरू करने में सक्षम बनाती है, जिससे त्वरित भुगतान की सुविधा मिलती है।
- **कमीशन एजेंट (सीए) के लिए लाइव बिडिंग डैशबोर्ड:** कमीशन एजेंट (सीए) के लिए लाइव बिडिंग डैशबोर्ड वास्तविक समय की बोली अपडेट, ऐतिहासिक बोली डेटा तक पहुंच और बाजार के रुझान प्रदान करता है।

5.8 ई-नाम प्लेटफॉर्म पर एफपीओ को शामिल करना

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें छोटे विपणन योग्य अधिशेषों का विपणन करना होता है। उपज का एकत्रीकरण, जैसा कि परिकल्पित है, इकोनोमिज ऑफ स्केल अर्थव्यवस्था प्रदान करता है। हालाँकि, उपज की बिक्री में विभिन्न अड़चनें मौजूद हैं, जिससे किसानों का भरण-पोषण मुश्किल हो रहा है। ई-नाम के माध्यम से, एफपीओ को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार संपर्क के लिए ऑनलाइन व्यापार की तकनीक सुलभ कराई जाती है।

5.9 ई-नाम पर पंजीकृत कुल 3685 एफपीओ में से 2023-24 में 1110 एफपीओ पंजीकृत किए गए, 21 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) के एफपीओ ने ई-नाम पर सफलतापूर्वक भाग लिया और 31.03.2024 तक 86,828.6 मीट्रिक टन का व्यापार किया और 2.27 करोड़ (पान और नारियल का) व्यापार मूल्य 154.20 करोड़ रुपये रहा।

तालिका 5 ड.

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष (2023-24)	एफपीओ की संख्या (शुरूआत से - मार्च 2024 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	80	273
2	असम	21	21
3	बिहार	87	91
4	छत्तीसगढ़	29	58
5	गोआ	5	5
6	गुजरात	80	230
7	हरियाणा	19	266
8	हिमाचल प्रदेश	15	88
9	झारखंड	40	194
10	कर्नाटक	11	24
11	केरल	29	37
12	मध्य प्रदेश	50	167
13	महाराष्ट्र	52	338
14	ओडिशा	176	448
15	पंजाब	7	20
16	राजस्थान	44	288
17	तमिलनाडु	113	237
18	तेलंगाना	24	119
19	त्रिपुरा	0	2
20	उत्तर प्रदेश	57	356
21	उत्तराखंड	48	102
22	पश्चिम बंगाल	90	270
23	जम्मू एवं कश्मीर	33	48
24	पुदुचेरी	0	3
कुल		**1110**	**3685**

तालिका 5च : समेकित व्यापार आंकड़े

क्र. स.	राज्य	वित्त वर्ष 2023-24			स्थापना के बाद 31 मार्च, 2024 तक		
		करोबार की मात्रा (मी.टन)	करोबार की मात्रा (संख्या)	करोबार की मात्रा (रु. करोड़)	करोबार की मात्रा (मीट्रिक टन)	करोबार की मात्रा (संख्या)	करोबार की मात्रा (रु. करोड़)
1	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00		0.00	0.01	0	0.00003
2	आन्ध्र प्रदेश	12,20,259.70		10,227.76	74,02,349.53	0	49,003.62
3	असम	0.00		0.00	16.90	0	0.03
4	बिहार	13.25		0.03	22.73	0	0.06
5	चंडीगढ़	2,23,265.99		447.66	6,44,182.66	0	1,229.03
7	छत्तीसगढ़	1,19,422.12		267.18	10,06,454.93	0	2,039.65
6	गोआ	127.33	3,39,758	1.22	130.62	3,39,758	1.27
8	गुजरात	5,36,104.13		2,256.34	23,80,459.82	0	9,383.16
9	हरियाणा	49,91,074.59		18,700.52	2,92,53,755.60	0	94,163.95
10	हिमाचल प्रदेश	59,130.69		227.65	3,99,594.99	0	1,469.32
11	जम्मू एवं कश्मीर	62,871.82	22,381	416.08	72,253.90	26,850	449.81
12	झारखंड	4,919.77	4,669	10.94	30,644.52	4,669	58.46
13	कर्नाटक	47,110.52		447.72	1,87,886.39	0	1,313.93
14	केरल	153.48		0.49	673.79	0	2.16
15	मध्य प्रदेश	17,43,815.54		6,248.25	82,00,004.44	0	27,153.85
16	महाराष्ट्र	7,76,832.36		3,334.33	42,51,570.66	0	15,328.52
17	नागालैंड	720.79		3.41	817.49	0	3.66
18	ओडिशा	5,01,962.31	8,98,68,348	1,236.08	13,68,339.18	31,23,01,729	3,531.55
19	पुदुचेरी	6,667.05		34.93	47,769.08	0	172.26
20	पंजाब	4,11,297.91		1,467.84	37,06,162.09	0	12,196.65
21	राजस्थान	58,21,688.39	21,42,890	23,554.50	2,00,34,208.58	66,68,516	81,681.66
22	तमिलनाडु	8,25,967.20	1,04,86,374	2,532.16	20,37,267.55	1,60,00,873	4,976.26
23	तेलंगाना	9,80,297.71		4,297.85	64,68,011.15	0	23,637.62
24	त्रिपुरा	3.65		0.03	4.41	0	0.03
25	उत्तर प्रदेश	8,97,625.02		2,187.96	62,91,802.36	0	11,444.64
26	उत्तराखंड	1,91,283.32		352.74	5,68,452.55	0	847.82
27	पश्चिम बंगाल	22,540.93	0	42.81	61,709.53	97,100	114.54
कुल योग		**1,94,45,155.55**	**10,28,64,420**	**78,296.46**	**9,44,14,545.43**	**33,54,39,295**	**3,40,203.40**

5.10 वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण

5.10.1 ई-नाम कार्यशाला

ई-नाम 2.0 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 19 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। पूर्व कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा आईएएस ने अपने भाषण में ई-नाम के हितधारकों को सही समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ई-नाम की बेहतरी के लिए सूचना विषमता को दूर करने के महत्व पर भी जोर दिया तथा कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी खरीदार के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि वस्तुओं की कीमतें विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ई-नाम 2.0 को सफल बनाने के दौरान व्यापार करने में आर्थिक रूप से आसानी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पूरी मूल्य श्रृंखला को कुशल बनाया जाना चाहिए, और अपव्यय को कम किया जाना चाहिए। ई-नाम की संरचना को पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख सेवा प्रदाताओं के लिए प्लग एंड प्ले-इन मॉडल का समर्थन करने की आवश्यकता है, ताकि किसान और व्यापारी अपने लाभ के लिए इसका का उपयोग करने के लिए खुद आगे आने के लिए प्रेरित हों।

5.10.2 डीडी किसान पर एफपीओ के साथ बातचीत

चूरचू नारी ऊर्जा एफपीसीएल (झारखंड), मांगनी सिटी कंसोर्टियम (तमिलनाडु) और जैविक श्री एफपीसीएल, कोरापुट (ओडिशा) को डीडी किसान द्वारा आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने ई-नाम प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के अपने अनुभव साझा किए। ये एफपीओ लगातार ई-नाम का उपयोग

कर रहे हैं, जिसमें क्रमशः 1.25 करोड़ रुपये, 1.44 करोड़ रुपये और 2.68 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है।

चर्चू नारी एफपीसीएल के अनुसार "ई-नाम आउटपुट मार्केटिंग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यह पूरी पारदर्शिता के साथ 100% डिजिटल है। यह किसानों को सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करने में मदद करता है"।

जैविक श्री एफपीसीएल का कहना है कि उत्पाद विविधता का विस्तार करने की आवश्यकता है। साथ ही, मौजूदा कोल्ड स्टोरेज संरचनाओं और गोदामों का उपयोग करने के लिए एफपीओ के लिए पहुँच बनाई जानी चाहिए।

5.10.3 एसएफएसी ने हितधारकों को ई-नाम की विशेषताओं और लाभों से अवगत कराने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। ऐसी कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

क) एनएससी के सहयोग से एफपीओं के लिए ई- नाम प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

ख) केवीके मंडला में एनएससी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक- 25 अप्रैल 2023 को एफपीओ प्रशिक्षण दिया गया

ग) एनएससी द्वारा केवीके डिंडोरी में दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को प्रशिक्षण दिया गया

घ) तमिलनाडु के अधिकारियों ने ई-नाम के तहत संभावित अंतर-राज्यीय व्यापार की खोज के लिए एमडी जीएसएएमबी और एपीएमसी सचिव अहमदाबाद के साथ बैठक के लिए गुजरात (अहमदाबाद एपीएमसी) का दौरा दिनांक-17 मई 2023 को किया ।

ङ) दिनांक- 20 मई, 2023 को बिहार के पीपरकोठी में एनएससी के साथ संयुक्त रूप से एफपीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं दिनांक 29 अगस्त, 2023 को संयुक्त रूप से एनएससी के साथ तेलंगाना के खमम जिले में संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया गया ।

5.11 मीडिया में ई-नाम

ई-नाम की 7वीं वर्षगांठ (14 अप्रैल, 2023) के अवसर पर डिजिटल कार्ड और ई-बैनर तैयार किए गए और उन्हें ई-नाम वेबसाइट और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रस्तारित किया गया।

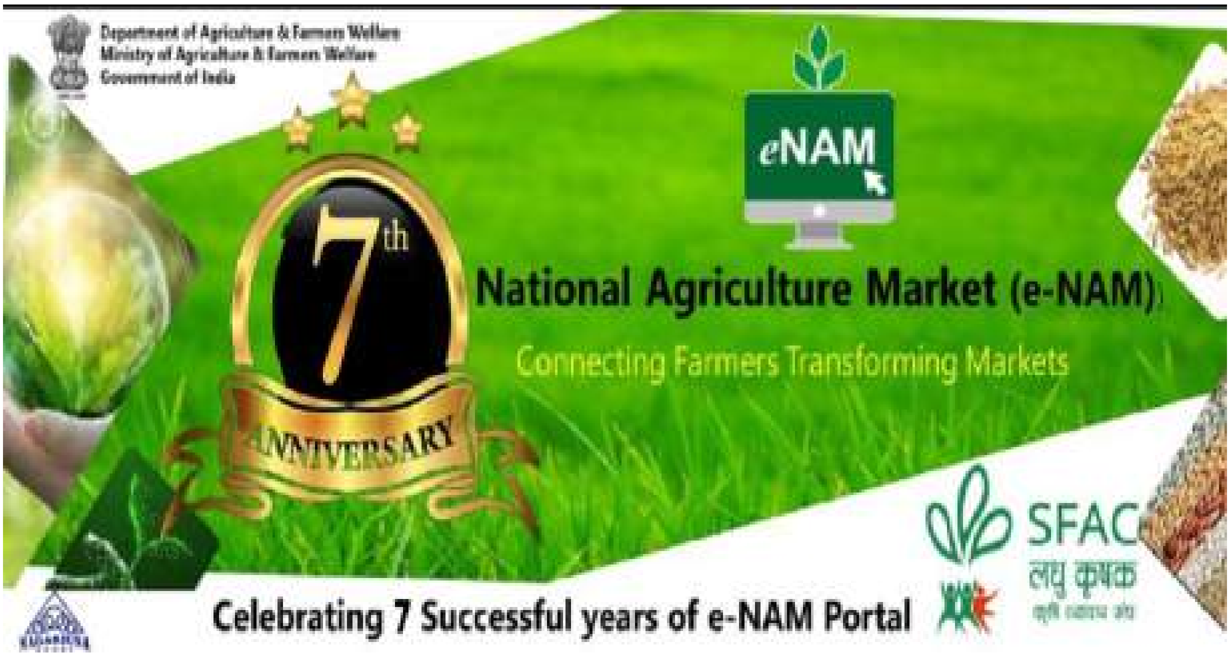

दिनांक- 31 मई 2023, समाचार पत्र का नाम- हिंदुस्तान, राज्य का नाम- ओडिशा

Govt brings all agri markets under e-NAM

The farmers can now access agri-commodities markets functioning across the country through an android phone and sell their produce at the price of their choice from within the comfort of their homes

POST NEWS NETWORK

Bhubaneswar, May 30: In a bid to ensure that farmers get remunerative price for their produce through better market access, the state government has brought all agricultural markets under 66 regulated market committees (RMCs) under e-NAM platform.

This was revealed by Cooperation department principal secretary Sanjeev Kumar Chadha here, Tuesday.

The farmers can now, with the help of an android phone, access agri-commodities markets functioning across the country and sell their produce at the price of their choice from within the comfort of their homes, giving them unprecedented bargaining power.

e-NAM is a pan-India online platform developed by Union Agriculture and Farmers' Welfare Ministry to link all the buyers and sellers of agricultural produce, virtually through agricultural produce marketing committees (APMCs) and RMCs.

"In 2017, there were only 10 RMCs on e-NAM platform, but Odisha has left many agriculturally advanced states behind with 100 per cent onboarding of all its agricultural markets under all RMCs. The department has onboarded 401 farmer producer organisations (FPOs) to the platform," said Chadha.

In 2017, there were only 10 RMCs on e-NAM platform, but Odisha has achieved 100% onboarding of all the markets under RMCs

About 400 women self-help groups (WSHGs) of the state, as members of these FPOs, can now reap the benefits of the online platform. Facilities have now been developed enabling transactions through android phones. And all steps are being taken to ensure that the RMCs are operating without hassle, informed the principal secretary.

The department has undertaken some other reforms like unified licensing system and single point levying of market fees, with suitable amendment to Odisha State Agricultural Produce Marketing Act to pave ways for these reforms.

Further, to boost agricultural marketing, the department has initiated a project on 'Agri Marketing Network' linking all 66 RMCs, 45 Krushak Bazars, 76 municipal markets including 300 FPOs and WSHGs.

"All these efforts have started yielding results. The farmers of the state have accepted this modern idea enthusiastically and till now have traded commodities to the tune of 80.44 lakh quintals and fetched a whopping amount of ₹2,064.89 crore," informed an official.

दिनांक- 01 जून 2023, समाचार पत्र का नाम- इकोनॉमिक टाइम्स, राज्य का नाम- मुंबई

ECONOMIC TIMES, MUMBAI 01 JUNE 2023

18.6 MT OF PRODUCTS TRADED

Agricultural Trade Via e-NAM Surges 41% in FY23

In value terms, trade rose 32% to ₹74,656 crore from ₹56,497 crore in 2021-22

Shambhavi.Anand
@timesgroup.com

New Delhi: Agricultural products trade through the electronic-National Agriculture Market (e-NAM) surged 41% to 18.6 million tonnes in 2022-23 from 13.2 million tonnes in the previous financial year.

"Several innovative products have started trading through these mandis," said a senior official, who did not wish to be identified, adding that several products such as silk cocoons, saffron and bamboo are being sold on the platform.

In terms of value, agricultural products trade through the e-NAM platform increased 32% to ₹74,656 crore from ₹56,497 crore in 2021-22.

The trade between interstate mandis increased 38% to 2,38,140 metric tonnes in 2022-23 from 1,74,368 metric tonnes in the previous year. It was worth ₹2.41 crore, up 117% from last year's ₹1.11 crore.

As on November 30, 2022, 1,260 mandis of 22 states and three Union Territories (UTs) have been integrated with the e-NAM platform. The government has been working on more interstate mandis with the e-NAM to promote trade between mandis located across the country.

The states are Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal, and the UTs using the facility are Chandigarh, Jammu & Kashmir and Puducherry.

The e-NAM, launched in April 2016, is being implemented by the Small Farmers Agribusiness Consortium, a central government agency, with the support of state governments.

Since inception, about ₹649.07 crore has been released for the integration of mandis with the e-NAM platform.

दिनांक- 06 जुलाई 2023, समाचार पत्र का नाम- दैनिक भास्कर, धनबाद झारखंड

दैनिक भास्कर

धनबाद 06-07-2023

भास्कर खास : इस बार धनबाद से गिरिडीह, बोकारो, देवघर, दुमका समेत अन्य जिलों में हुई सेबों की आपूर्ति

कश्मीर से इस बार धनबाद पहुंचा 3879 क्विंटल सेब... यह देश में सबसे ज्यादा, व्यापारियों ने किसानों को किया 1.29 करोड़ का पेमेंट

ई-नाम योजना से जुड़ जिले के व्यापारियों ने सीधे कश्मीर के किसानों से खरीदे सेब

कश्मीर से 250 ग्राम केसर भी मंगाया गया

ई-नाम योजना...एक ही मंच से खरीद और बिक्री

एक पंजीकरण...फिर सीधे किसान से खरीदें उत्पाद

दिनांक- 06 जुलाई 2023, राज्य- छत्तीसगढ़

किसान संगोष्ठी | कृषि विज्ञान केन्द्र में राष्ट्रीय बीज निगम प्रबंधक डॉ मनिदा कौर ने दी जानकारी

किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज का इस्तेमाल करने की दी सलाह

प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया

फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दिनांक- 11 जुलाई 2023, राज्य- नई दिल्ली

FINANCIAL EXPRESS, ND 10-07-2023

PLATFORM'S TURNOVER MAY CROSS ₹1 TRN IN FY24

Inter-mandi eNAM up 290% in Q1

SANDIP DAS
New Delhi, July 9

WITH MORE STATES allowing trading of agricultural commodities using digital wholesale agri-marketing platform, electronic National Agriculture Market (eNAM), there has been a spurt in trading amongst various markets within the state as well as at the inter-state level.

In the April-June quarter of the current fiscal, there has been a 290% annual spike in inter-mandi trade on e-NAM to ₹336 crore. In terms of inter-state trade, which was not happening a year ago, there has been an increase since the beginning of the year.

An agriculture ministry official said while the volume of inter-mandi trade is still a small portion of total turnover of e-NAM at ₹17,000 crore in April-June (2023-24), it indicates a gradual shift to the digital platform, being used for better price discovery by the farmers. "The agricultural trade between states have also commenced on the platform, after states gradually realising the potential of the pan-India digital market place," the official said.

Since the beginning of the year, the inter-state trade using e-NAM platform on commodities with farmers from Uttar Pradesh, Kashmir, Maharashtra and Rajasthan selling commodities such as potato, apples, mustard, ragi, silk cocoon, chana, soyabean and jeera, to buyers in Kerala, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh and Tamil Nadu, sources said.

Continued on Page 2

DIGITALLY FORWARD

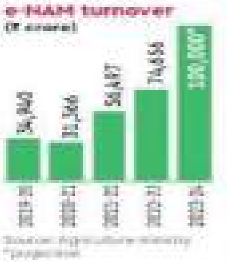

e-NAM outreach

1,361 mandis in 27 states/UTs	17.5 million farmers
207 agri-commodities traded	0.25 million traders/agents

- 0.16 million unified trading licences (Rajasthan, UP, Gujarat, Odisha, AP, Telangana, Tamil Nadu & HP)
- Inter-state mandi trade (UP, Rajasthan, Kashmir, Maharashtra, Kerala, Odisha, Jharkhand, MP and Tamil Nadu)

दिनांक- 27 जुलाई 2023, राज्य- चंडीगढ़

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
RozanaSpokesman.com

दिनांक- 18 अगस्त 2023, राज्य- झारखंड

epaper
हिन्दुस्तान

Share | Copy url | Save | Font Size | D'load Image | Image | Text | Pause

ई-नाम पोर्टल से खरीद-बिक्री में धनबाद नंबर वन

- धनबाद ने अखरोट, सोंठ, सेब, केसर, आलू व प्याज की अधिक खरीद-बिक्री की
- एक करोड़ 76 लाख किसान व 25 हजार ट्रेडर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं
- झारखंड के दो लाख 64 हजार किसान जुड़े हैं ई-नाम पोर्टल से

"ई-नाम पोर्टल से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इससे बिचौलियों में कमी आयी। पोर्टल से व्यापारी एवं किसान सीधे जुड़े हैं। उत्पाद बेचने पर किसानों को उसी दिन डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है।"
राकेश कुमार सिंह

दिनांक- 25 अगस्त 2023, राज्य- राजस्थान

ई–नाम में बड़े बदलाव के बाद रुझान बढ़ने की उम्मीद जगी

केंद्र ने अकेले राजस्थान के लिए किया परिवर्तन

कच्चा आढ़तियों को मिली ई पेमेन्ट की जिम्मेदारी

ई-नाम प्रगति पथ

श्रीगंगानगर में यह स्थिति

- 74083 किसान रजिस्टर्ड
- 2926 व्यापारी रजिस्टर्ड
- 247204 लॉट अभी तक

इनका कहना है

दिनांक- 26 अगस्त 2023, राज्य- हरियाणा

पंजाब में ई-नैम से हुआ 10,000 करोड़ रुपए के कृषि जिन्सों का ई-व्यापार : चीमा

भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसानों में ई-मार्केटिंग के प्रति जागरूकता पैदा करने पर दिया जोर

दिनांक- 05 सितम्बर 2023, राज्य- झारखंड

कृषि बाजार समिति

इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होगी अनाजों की गुणवत्ता जांच

देश के किसी भी मंडी में फसल को बेच सकेंगे किसान

इसी उद्देश्य से जिले के किसान उत्पादक समूह एवं किसानों को बाजार समिति के द्वारा जिले के किसानों को जागरूक किया जा रहा है

5.12 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख सफलता की कहानियाँ

5.12.1 आंध्र प्रदेश

अंतर-राज्यीय व्यापार की सफलता की कहानी

सितंबर वर्ष में, महाराष्ट्र बोर्ड ने व्यापारी लाइसेंस के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता से छूट दी। उन्होंने निःशुल्क लाइसेंस भी जारी किए और प्याज व्यापार के लिए बाज़ार शुल्क भी माफ कर दिया। आंध्र प्रदेश में, ई-नाम टीम और एपी विपणन विभाग ने महाराष्ट्र से प्याज व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्याज व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। तीन एपीएमसी-रावुलापलेम, गुंटूर और एलुरु एपीएमसी- के व्यापारियों ने अपनी रुचि व्यक्त की और लाइसेंस के लिए आवेदन किया। इसके बाद, ई-नाम टीम ने इन व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए। सितंबर 2023 में, रावुलापलेम, गुंटूर और एलुरु एपीएमसी के छह व्यापारियों ने अंतरराज्यीय व्यापार में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के भीतर अंतर-राज्यीय व्यापार की सबसे अधिक मात्रा में 475 लाख रुपये मूल्य की 2722.5 मीट्रिक टन वस्तुएँ शामिल थीं। ई-नाम पोर्टल के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार में शामिल होने के नए अवसर से व्यापारी प्रसन्न हैं। उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहेगी, जिससे अंतर-राज्यीय व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।

वस्तु	विक्रेता राज्य	क्रेता मंडी	कारोबार की मात्रा मीट्रिक टन में	करोबार मूल्य लाख में
प्याज	महाराष्ट्र	एलुरु	60.50	10.59
		गुंटूर	1694.00	296.55
		रावुलापालेम	968.00	167.89
		कुल	**2722.50**	**475.02**

5.12.2 गुजरात

बाधाओं को हटाना: ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार के लिए एपीएमसी अधिनियम में बदलाव के लिए गुजरात संशोधन विधेयक पारित हुआ

ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने में गुजरात की यात्रा एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी है। राज्य ने बदलाव की आवश्यकता को पहचाना और अपने व्यापारियों और किसानों के लिए नए अवसरों को खोलने के मार्ग पर चल पड़ा। इस परिवर्तन की कुंजी एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) अधिनियम में संशोधन था, जिससे गुजरात के व्यापारियों को अन्य राज्यों में अपने समकक्षों के साथ कृषि उपज खरीदने और बेचने में सक्षम बनाया गया। इस निर्णय ने कृषि व्यापार के लिए राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिससे एक अधिक समावेशी और विस्तृत बाज़ार को बढ़ावा मिला।

इस बदलाव के साथ, गुजरात के व्यापारियों को एक एकीकृत लाइसेंस का विशेषाधिकार प्राप्त होगा, जिससे वे ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार में सहजता से भाग ले सकेंगे। इसका प्रभाव गहरा था, क्योंकि यह सीमा पार लेनदेन में बाधा डालने वाली पिछली बाधाओं को समाप्त कर देगा। इस पहल की सफलता आर्थिक विकास और नवाचार के लिए गुजरात की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ई-नाम को अपनाकर और अंतरराज्यीय व्यापार को सुविधाजनक बनाकर, राज्य ने न केवल अपने व्यापारियों को सशक्त बनाया, बल्कि अपने किसानों की संभावनाओं को भी बढ़ाया।

गुजरात के व्यापारी अब खरीदारों और विक्रेताओं के व्यापक नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, जिससे कृषि बाज़ार अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बन गया है। प्रौद्योगिकी को अपनाकर और एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करके, राज्य ने सभी के लिए जीत की स्थिति बनाई है, जिससे इसके व्यापारियों, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिला है। यह कहानी सदियों पुरानी प्रणालियों को बेहतर बनाने में साहसिक पहल की शक्ति को प्रदर्शित करती है।

ગૃહમાં ગુજરાત ખેત ઉત્પન્ન અને ખરીદ-વેચાણ અધિનિયમ સુધારા વિધેયક પસાર

ગુજરાતના વેપારી અન્ય રાજ્યમાંથી ઈ-નામ પ્લેટફોર્મ પર ખેતપેદાશોની ખરીદી કરી શકશે

ई-नाम पर अंतरराज्यीय व्यापार: गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कृषि वाणिज्य को बढ़ावा देना

ई-नाम अंतरराज्यीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और कृषि वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। इस सफलता का एक उल्लेखनीय उदाहरण कृषि उत्पादों के आदान-प्रदान में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सहयोग है।

क्र. सं.	वित्त वर्ष	दिनांक	क्रेता राज्य	क्रेता मंडी	विक्रेता राज्य	विक्रेता मंडी	वस्तु	कारोबार की कुल मात्रा (क्विंटल)	कुल व्यापार मूल्य (रु.)
1	2023-24	24-08-2023	गुजरात	निज़ार	महाराष्ट्र	नंदुरबार	सूरजमुखी के बीज	7.32	29,280.00
2	2023-24	06-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,44,802.50
3	2023-24	06-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,44,802.50
4	2023-24	06-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,44,802.50
5	2023-24	06-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,44,802.50
6	2023-24	07-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,46,617.50
7	2023-24	07-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,47,827.50
8	2023-24	07-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,46,617.50
9	2023-24	07-10-2023	गुजरात	गोंडल	महाराष्ट्र	लासलगाँव	प्याज	302.5	5,44,802.50
कुल (2023-24)								**2,427.32**	**43,94,355.00**

इस फलती-फूलती साझेदारी में, ई-नाम ने नैफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) द्वारा प्याज की बिक्री को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय घरों में मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाला प्याज महाराष्ट्र के लासलगांव में एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) और गुजरात के महुवा और गोंडल एपीएमसी में बहुतायत में उगाया जाता है। ई-नाम, नैफेड को खरीदारों से जुड़ने और राज्य की सीमाओं के पार अपने प्याज की उपज बेचने के लिए एक सहज और पारदर्शी रास्ता प्रदान करता है। यह न केवल वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य और पहुँच भी सुनिश्चित करता है।

ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार का एक और उल्लेखनीय उदाहरण गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सूरजमुखी के बीजों का आदान-प्रदान है। गुजरात में निज़ार एपीएमसी और महाराष्ट्र में नंदुरबार एपीएमसी ने एक सफल व्यापार साझेदारी को बढ़ावा दिया है। ई-नाम ने इन क्षेत्रों के विक्रेताओं और खरीदारों को जोड़ने और सूरजमुखी के बीजों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए पुल का काम किया है। इस सहयोग ने दोनों राज्यों में आर्थिक विकास और विविधीकरण को बढ़ावा दिया है और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया है।

गुजरात के महुवा और गोंडल एपीएमसी में लासलगांव-महाराष्ट्र का नैफेड प्याज

5.12.3 झारखंड

धनबाद एपीएमसी झारखंड की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है जिसे झारखंड की 18 और मंडियों के साथ ई-नाम प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है। इसमें 23,190 किसान पंजीकृत हैं, 199 व्यापारी हैं और ई-नाम पर 8 एफपीओ हैं। अब तक धनबाद बिहार, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सेब, केसर, अखरोट, बादाम, शहद, प्याज, आलू, केला, किन्नू जैसी विभिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय व्यापार में सबसे आगे रहा है। वास्तव में, जम्मू और कश्मीर से सेब की अंतरराज्यीय व्यापार श्रेणी में धनबाद भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला है।

सेब के अंतरराज्यीय व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एफपीओ (निरशा नूपुर एफपीओ और बलियापुर एफपीओ) और व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन को सम्मानित किया गया है।

कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ

5.12.4 महाराष्ट्र

क) सफलता की कहानी: महाराष्ट्र के लासलगांव स्थित एपीएमसी से प्याज का फार्मगेट मॉड्यूल के माध्यम से ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नैफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ ने ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से लासलगांव एपीएमसी से प्याज का अंतरराज्यीय व्यापार सफलतापूर्वक शुरू किया है। ये व्यापार फार्मगेट मॉड्यूल के माध्यम से संचालित किए जाते हैं जिसमें पूरे भारत के खरीदार/व्यापारी डिजिटल नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लेने में सक्षम होते हैं, जिससे प्याज की वास्तविक कीमत का पता चलता है। एनसीसीएफ और नेफेड के मूल्य स्थिरीकरण और सुचारू व्यापार जनादेश का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। गुणवत्ता और वजन का आश्वासन नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा लिया जाता है जबकि रसद व्यवस्था खरीदारों द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

ई-नाम पर 31.03.2024 तक का कारोबार मूल्य और मात्रा नीचे दी गई है:

क्र.स.	कारोबार की मात्रा (क्विंटल में)	कारोबार मूल्य (रु. करोड़ में)
एन.सी.सी.एफ	86556.5	17.08
नैफेड	59897.5	13.10

प्याज की खरीद के लिए ऑनलाइन नीलामी में देशभर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इसमें भाग लेने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा, नागालैंड, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि शामिल हैं।

ख) सफलता की कहानी : महाराष्ट्र के बारामती एपीएमसी से रेशम कोकून का अंतरराज्यीय व्यापार

बारामती एपीएमसी ने बड़ी स्क्रीन पर विजुवल देखने की व्यवस्था की है, जिसमें ई-नाम पर लाइव बोली और दरें दिखाई देती हैं। इससे किसान आसानी से अपने लॉट की स्थिति तय कर सकते हैं और उसे चिह्नित कर सकते हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म एमएसपी और निजी मंडियों की तुलना में बेहतर मूल्य प्रदान करता है। पहले ई-नाम व्यापारी सिंडिकेट बनाते थे और कम कीमतें उद्धृत करते थे। हालाँकि, ई-नाम के कार्यान्वयन के बाद, कीमतें पारदर्शी तरीके से प्रसारित की जाती हैं। अत: किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलता है। न केवल स्थानीय व्यापारी बल्कि केरल और कर्नाटक जैसे दूरदराज के राज्यों के खरीदार भी बोली में भाग ले रहे हैं,इसलिए प्राप्त दरें बहुत प्रतिस्पर्धी प्रकृति की हैं।

कारोबार मूल्य **-** 147.62 क्विंटल

कारोबार की मात्रा - **84.20 लाख रुपये**

5.12.5 नागालैंड

(अप्रैल-सितम्बर 2023)

महाराष्ट्र और नागालैंड के बीच पहला अंतर-राज्यीय व्यापार 4 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया, जिसका विवरण निम्न हैं:

- विक्रेता एपीएमसी: लासलगांव, महाराष्ट्र (एनसीसीएफ)
- क्रेता एपीएमसी: दीमापुर, नागालैंड
- वस्तु: प्याज (एनसीसीएफ)
- मात्रा: 305 क्विंटल
- कीमत: 2300/क्विंटल

नागालैंड के लिए एक अनोखी वस्तु जिसकी खेती हाल के वर्षों में बढ़ी है, वह है ख़ुरमा। इस अनोखी वस्तु का व्यापार फ़ुटसेरो एपीएमसी में किया जाता था, साथ ही फ़ुटसेरो एपीएमसी और दीमापुर एपीएमसी के बीच ख़ुरमा का अंतर-मंडी व्यापार भी किया जाता था।

- मंडी: फुटसेरो एपीएमसी
- वस्तु: खुरमा
- मात्रा: 5 क्विंटल
- कीमत: 25000/क्विंटल

5.12.6 पांडिचेरी

पांडिचेरी कृषि उपज बाजार अधिनियम 1974 के क़ानून के तहत स्थापित पांडिचेरी मार्केट कमेटी, पुडुचेरी का विनियमित बाजार, थट्टानचावडी को देर से प्रवेश किया गया था जो 19.03.2018 को ई-नाम ग्रिड के साथ एकीकृत हुआ था। थट्टांचवडी बाजार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ई-नाम के तहत कारोबार की जाने वाली सभी वस्तुओं की 100% ई-बोली सुनिश्चित करना है।

तमिलनाडु के पनरुति के एक व्यापारी श्री एस सूर्या कुमार ने ई-नाम योजना के बाद ऑनलाइन मोड में तमिलनाडु के कई बाजारों से उड़द (काला चना), मोठ दाल, हरा चना और माइनर बाजरा जैसी वस्तुओं की एकल लाइसेंस का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन ई-नीलामी और ई-बोली में अधिक बाजार तक पहुंच बनाई और पास के तमिलनाडु विनियमित बाजार जैसे (विल्लुपुरम, विकेरावंडी और उलंदरपेट) में भाग लिया। इस ई-नाम मंच में यात्रा का समय और परिवहन लागत भी कम हो जाती है और किसान के खाते में सीधे ई-भुगतान शुरू करना आसान हो जाता है।

पुडुचेरी के थाट्टनचावडी में ई-नाम को बढ़ावा देने के लिए नई पहल; बाजार मूल्य विवरण के लिए सभी व्यापारियों और किसानों के लिए मुफ्त वाई-फाई का उपयोग करती है। व्यापारी और किसान दोनों के लिए दैनिक बाज़ार की जानकारी जैसे आगमन वस्तु और मूल्य विवरण देखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं गए हैं।

इस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई फार्म गेट और एफपीओ ट्रेड पहल को किसानों से उत्साह मिला है। अपने **उत्पाद को सीधे फार्म गेट पर बेचकर**, किसान परिवहन लागत को कम कर सकते हैं और **समय पर ऑनलाइन भुगतान** प्राप्त कर सकते हैं। **इस अभिनव दृष्टिकोण ने स्थानीय कृषि समुदाय को काफी लाभ हुआ है।**

5.12.7 तेलंगाना के सूर्यपेट के एक किसान की सफलता की कहानी

ई-नाम का अनुभव करने के बाद, तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के टेकुमतला गांव के किसान श्री जी परसा रामुलु ई-नाम प्लेटफॉर्म पर नियमित विक्रेता बन गए हैं। ई-नाम का उपयोग करने से पहले, वह रात में भी मंडी में रुकते थे क्योंकि मैनुअल नीलामी प्रक्रिया में समय लगता था और फसल के चरम मौसम में 24 घंटे से अधिक समय लग जाता था। श्री जी परसा रामुलु ने ई-नाम के माध्यम से व्यापार किया और प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और त्वरित पाया। अब वह अपने लॉट बेचने में बहुत सहज हैं। उन्होंने ई-नाम पर 1.66 लाख रुपये मूल्य के लगभग 88 क्विंटल धान (आईआर-64) बेचे हैं। वे 1600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास कीमत की उम्मीद के साथ अपना धान लेकर आए थे। उनके लॉट को सबसे अधिक बोली मिली और औसत कीमत 1894 रुपये प्रति क्विंटल मिली। उन्होंने बताया कि ई-नाम मंच उनकी कृषि उपज को बेहतर मूल्य प्रदान करता है, क्योंकि ई-नाम के कार्यान्वयन के

बाद व्यापारियों द्वारा सिंडिकेट बनाने और कम कीमतें उद्धृत करने की पुरानी प्रथा समाप्त हो गई है, जो मूल्यों का पारदर्शी भेदभाव सुनिश्चित करता है।

श्री परसा रामुला, धान किसान, ई-नाम मंडी: सूर्यापेट, तेलंगाना

5.12. 8 शिमिलिपाल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एसएफपीसीएल), ओडिशा

क) शिमिलिपाल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एसएफपीसीएल) वर्ष 2021 में एफपीओ/एफपीसी के रूप में पंजीकृत हुई। एसएफपीसीएल के 1167 सदस्य हैं, जो **ओडिशा के मयूरभंज जिले के बडोलिया पो-भोलागड़िया, ब्लॉक-खुंटा** में हैं। एसएफपीसीएल ने 29 अक्टूबर 2022 को उदाला आरएमसी के तहत उदाला मुख्य बाजार यार्ड के माध्यम से ई-नाम पर पंजीकरण कराया। उन्होंने जनवरी 2023 से ई-नाम पर बिक्री शुरू कर दी। एसएफपीसीएल करेला, तुरई, बैंगन, कद्दू, तरबूज जैसी वस्तुओं की बिक्री हुई। अब तक मार्च 2024 एसएफपीसीएल ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 194.20 लाख रुपये मूल्य की 18859/- क्विंटल इन वस्तुओं की बिक्री की है।

क्षेत्र स्तर एवं मंडी स्तर पर की गई प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रमों की तस्वीरें

5.12.9 पद्मेश्वर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आनंदपुर, ओडिशा

ख) पद्मेश्वर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (पीएफपीसीएल) वर्ष 2021 में एफपीओ के रूप में पंजीकृत हुई। ओडिशा के क्योंझर जिले के पद्मपुर में पीएफपीसीएल के 750 सदस्य हैं और इसकी पूंजी 70,86,175 रुपये है। पीएफपीसीएल ने आनंदपुर आरएमसी के तहत सलापड़ा मार्केट यार्ड के माध्यम से नवंबर-2021 में ई-नाम पर पंजीकरण कराया। उन्होंने नवंबर 2021 से ई-नाम पर बिक्री शुरू कर दी। पीएफपीसीएल ने ई-नाम के जरिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज, गोभी, फूलगोभी, टमाटर और कटहल आदि का व्यापार किया। मार्च 2024 तक, पीएफपीसीएल ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 60.90 लाख रुपये मूल्य की लगभग 55.16 मीट्रिक टन सब्जियां बेची हैं। इस व्यापार का 50% से अधिक ई-नाम के फार्मगेट मॉड्यूल के माध्यम से होता है।

चित्र 1 पद्मेश्वर एफपीसीएल की वार्षिक आम सभा की बैठक

चित्र 2 पद्मेश्वर एफपीसीएल का कार्यालय

सीईओ श्री लक्ष्मीधर साहू के फीडबैक के अनुसार, पीएफपीसीएल ने ई-नाम पर बेहतर मूल्य प्राप्ति देखी, ई-नाम के फार्मगेट मॉड्यूल के माध्यम से, उन्होंने अपनी सब्जियाँ अपने खेत से बेचीं और मंडी तक परिवहन लागत में अच्छी बचत की। परिणामस्वरूप सभी सदस्य किसान ई-नाम से काफी खुश हैं।

चित्र 3 पद्मेश्वर एफपीसीएल सलापडा मार्केट यार्ड द्वारा ई-एनएएम पर वस्तुओं का व्यापार

5.12.10 वेग्लिन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, चढियापल्ली, बेलगुंठा, गंजम, ओडिशा की सफलता की कहानी।

वेग्लिन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (वी.पी.सी.एल.) वर्ष 2020 में एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी के रूप में पंजीकृत हुई। ओडिशा के गंजम जिले के चढियापल्ली पोस्ट-अंबापुआ, ब्लॉक-बेलगुंठा में इसके 516 सदस्य हैं। वी.पी.सी.एल. ने 22 जून 2020 को नयागढ़ आर.एम.सी. के तहत नयागढ़ मुख्य मार्केट यार्ड के माध्यम से ई-नाम पर पंजीकरण कराया। ई-नाम पर पंजीकरण के कुछ दिनों के भीतर, उन्होंने जुलाई 2020 के महीने से ई-नाम पर बिक्री शुरू कर दी थी। वेग्लिन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने ई-नाम के माध्यम से 6-7 प्रकार की वस्तुओं जैसे करेला, परवल, बैंगन, कद्दू, टमाटर, गोभी, पपीता, लौकी का व्यापार किया।

मार्च 2024 तक वेग्लिन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 81.32 लाख रुपये की लगभग 45.09 मीट्रिक टन सब्ज़ियाँ बेची हैं। इसमें से 20% से ज़्यादा सब्ज़ियाँ ई-नाम के फ़ार्मगेट मॉड्यूल के माध्यम से हैं। उन्हें अपनी उपज को मंडी में लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे अपने खेत से ही बेच सकते हैं, जिससे परिवहन लागत में बचत हुई है।

ई-नाम पर पंजीकरण से पहले, वेगलाइन एग्रो पीसीएल के सदस्य स्थानीय बाजार में अपनी उपज बेचते थे। हालांकि, जब उन्होंने ई-नाम के माध्यम से बेचना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इसी अवधि में उनकी उपज को स्थानीय बाजारों की तुलना में अधिक कीमत मिल रही है। इसी अवधि के दौरान एफपीओ/एफपीसी ने भौतिक बाजारों की तुलना में ई-नाम फार्मगेट पर बेहतर मूल्य प्राप्ति देखी

अनुलग्नक – I

एसएफएसी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य

क. (i) प्रमोटर सदस्य: भारत सरकार

1.	माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001	पदेन उपाध्यक्ष
3.	सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
4.	प्रधान सलाहकार (कृषि) नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली - 110 001	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
5	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
6.	संयुक्त सचिव (एनएचएम), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
7.	संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
8.	अध्यक्ष, एपीडा एनसीयूआई ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016।	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
9.	आर्थिक सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचील मार्ग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)
क (ii) प्रमोटर सदस्य: पांच स्थायी निदेशक		
10.	डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	प्रमोटर सदस्य
11.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पी.बी. नंबर 8121, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	प्रमोटर सदस्य
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005	प्रमोटर सदस्य

13.	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई-400021	प्रमोटर सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,पंजाब नेशनल बैंक, प्लॉट नं.04, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075	प्रमोटर सदस्य
ख(i)प्राथमिक सदस्य- वित्तीय संस्थान, बैंक, विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियां- चार निर्वाचित निदेशक		
15.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी. रोड, बैंगलोर-560002	निर्वाचित सदस्य
16.	निदेशक, मेसर्स एग्री-नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, रेडी मनी टेरेस, चौथी मंजिल, एनी बेसेंट रोड, वर्ली नाका, मुंबई-400018	निर्वाचित सदस्य
17.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, केंद्रीय कार्यालय, पीओ बॉक्स 10046, बैंक ऑफ बड़ौदा, 9वीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई-400051	निर्वाचित सदस्य
18.	रिक्त	
ख(i) प्राथमिक सदस्य- वित्तीय संस्थान, बैंक, विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियां- चार निर्वाचित निदेशक		
19.	प्रबंध निदेशकभारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नेफेड हाउस, सिद्धार्थ एन्क्लेव, रिंग रोड, आश्रम चौक, नई दिल्ली-110014	निर्वाचित सदस्य
20.	रिक्त	
21.	रिक्त	
22.	रिक्त	
सोसायटी के मुख्य कार्यकारी और सदस्य सचिव (प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा)		
23.	प्रबंध निदेशक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, 5वीं मंजिल, एनसीयूआई ऑडिटोरियम बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016	सोसायटी के पदेन सदस्य एवं सचिव
स्थाई आमंत्रित		
1.	प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, सेंटर वन बिल्डिंग, मंजिल 21, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005	सदस्य

अनुलग्नक- II

2023-24 के दौरान एफपीओ मेला/प्रदर्शनियां				
क्र.सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**स्थान का नाम**	**दिनांक**	**एफपीओ प्रतिभागियों की संख्या**
1	एफपीओ मेला	एन.सी.यू.आई. हॉट	11 सितंबर-23	10
2	एफपीओ मेला	बीएसएफ कैंप चावला, दिल्ली	06 अक्टूबर-23	35
3	एफपीओ मेला – दिल्ली हॉट	आई.एन.ए. दिल्ली	10 अक्टूबर-23	10
4	एफपीओ मेला	एनसीडीसी कैंपस, हौजखास, नई दिल्ली	19 से 20 अक्टूबर, 2023	12
5	वर्ल्ड फ़ूड इंडिया	प्रगति मैदान, दिल्ली	3 से 5 नवंबर, 2023	13
6	एफपीओ मेला एन.सी.यू.आई.	एन.सी.यू.आई. हॉट	03 से 11 नवबंर, 2023	13
7	एफपीओ का प्री दिवाली मेला	एनएसजी-कैंप मानेसर, हरियाणा	04 नवंबर-23	7
8	मेगा मिलेट्स फेस्टिवल	राजघाट, दिल्ली	05से 07 नवबंर, 2023	14
9	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	प्रगति मैदान, दिल्ली	14 से 27 नवबंर, 2023	18
10	जल इतिहास उत्सव	कुतुब मीनार, जहाज़ महल, नई दिल्ली	1 दिसंबर, 2023	6
11	आसियान-भारत महोत्सव	एंबिएंस मॉल, वसंतकुंज, नई दिल्ली	14 से 15 दिसंबर, 2023	15
12	एफपीओ प्रदर्शनी -दिल्ली हाट	आई.एन.ए. दिल्ली	27 से 29 दिसंबर, 2023	19
13	कृषि उन्नत मेला	झारखंड	01 जनवरी-24	10
14	आत्मनिर्भर भारत उत्सव	प्रगति मैदान, दिल्ली	03 से 10 जनवरी, 2024	26
15	एफपीओ मेला	एनसीडीसी कैंपस, हौजखास, नई दिल्ली	08 से 10 फरवरी, 2024	28
16	आदि महोत्सव	दिल्ली	11 से 18 फरवरी, 2024	10
17	सरस मेला	नोएडा मॉल	16 फरवरी से 4 मार्च, 2024	6
18	एफपीओ मेला	पीएचडी चैंबर, हौजखास, नई दिल्ली	26 फरवरी-24	10
19	आहार मेला(बी2बी)	प्रगति मैदान, दिल्ली	7 से 11 मार्च, 2024	8
20	एफपीओ मेला यशोभूमि	द्वारका दिल्ली	26 से 29 फरवरी, 2024	21
21	तरंग मेला	आन्ध्र प्रदेश	22 से 24 फरवरी, 2024	20
22	तरंग मेला	अजमेर, राजस्थान	23 से 25 फरवरी, 2024	26
23	तरंग मेला	गुजरात	23 से 27 फरवरी, 2024	19

2023-24 के दौरान एफपीओ मेला/प्रदर्शनियां				
क्र.सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**स्थान का नाम**	**दिनांक**	**एफपीओ प्रतिभागियों की संख्या**
24	तरंग मेला	केरल, कोच्चि	23 से 25 फरवरी, 2024	18
25	तरंग मेला	तमिलनाडु, कोयंबटूर	24 से 26 फरवरी, 2024	15
26	तरंग मेला	बिहार, पटना	23 से 25 फरवरी, 2024	23
27	तरंग मेला	बेंगलुरु, कर्नाटक	01 से 03 मार्च, 2024	12
28	तरंग मेला	चंडीगढ़	01 से 03 मार्च, 2024	20
29	तरंग मेला	छत्तीसगढ़	01 से 03 मार्च, 2024	17
30	तरंग मेला	असम	01 से 03 मार्च, 2024	19
31	तरंग मेला	मध्य प्रदेश, इंदौर	01 से 03 मार्च, 2024	20
32	तरंग मेला	झारखंड	06 से 08 मार्च, 2024	20
33	तरंग मेला	ओडिशा	08 से 10 मार्च, 2024	18
34	तरंग मेला	गुरुग्राम	08 से 10 मार्च, 2024	20
35	तरंग मेला	महाराष्ट्र, पुणे	11 से 13 मार्च, 2024	20
36	तरंग मेला	उत्तराखंड	11 से 13 मार्च, 2024	20
37	तरंग मेला	उत्तर प्रदेश	11 से 13 मार्च, 2024	20
38	तरंग मेला	हैदराबाद	12 से 14 मार्च, 2024	19
39	तरंग मेला	जम्मू एवं कश्मीर	12 से 15 मार्च, 2024	20
40	तरंग मेला	पांडिचेरी	15 से 17 मार्च, 2024	15
41	तरंग मेला	गोआ	04 से 6 मार्च, 2024	26
42	तरंग मेला	पश्चिम बंगाल		
43	तरंग मेला	दिल्ली	16 से 18 मार्च, 2024	22
44	एफपीओ मेला	एनसीडीसी कैंपस, हौजखास	19 से 21 मार्च, 2024	24
कुल				**744**

वार्षिक लेखावित्तीय वर्ष
2023-2024

एम.के. अरोड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

57, (प्रथम तल), नजदीक जी टी बी नगर,

किंग्सवे कैम्प, दिल्ली110009

दूरभाष सं.-: 47082121, 7503136791

ई-मेल:mk_arora@yahoo.com

यू.डी.आई.एन- 24082966BKAQBM1825

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,** नई दिल्ली ("सोसाइटी") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का तुलन-पत्र, और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मत में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं:

क) 31 मार्च, 2023तक सोसायटी के तुलन पत्र की स्थिति;

ख) आय और व्यय लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष का अधिशेष।

मत का आधार

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन (एसए) मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार सोसाइटी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर प्रमुखता

हम लेखा टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के लेखों में कहा गया है कि तृतीय पक्ष की पुष्टि के अभाव में, विविध देनदारों, विविध लेनदारों, प्रतिभूति जमा के शेष और विभिन्न पक्षों को प्रदत्त अग्रिम को सोसायटी के रिकॉर्ड के अनुसार लिया गया है।

हम इस ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि सोसायटी के पास 31.03.2024 तक दालों (पी.एस.एफ.) का अंतिम स्टॉक 5,20,85,973,52 रुपए था जिसमें से स्टॉक राशि 46,28,077.82 रुपए को वर्ष के दौरान अन्य आय के रुप में बट्टे खाते में डाल दिया गया और शेष स्टॉक 4,74,57,895.70 रुपए के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है और प्रबंधन के अनुसार सोयटी के पास कोई भौतिक स्टॉक नहीं हैं।

हम मूल्य स्थिरीकरण कोष की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। सोसायटी ने पी.एस.एफ. उड़द और प्याज के अंतर्गत जाँच के लिए जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सामान्य निधि में 1,02,92,100 रुपए की राशि समायोजित की है।

हम इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि सोसायटी ने बैंक खाते के शेषों समाधान, ऑटो स्वीप, असत्यापित वी.सी.ए. रिफंड और अन्य के लिए सामान्य निधि में समायोजन किया है।

हम इस ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि सोसायटी द्वारा अंचल संपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया है तथा देय व्यय शेष राशि 1,16,82,592 रुपए अभी भी बकाया है, जिसके लिए हमें कोई विभाजन प्रदान नहीं किया गया है।

हम इस ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि सोसायटी पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित टिप्पणियों के अनुसार व्यापारिक लेखाकरण प्रणाली का पालन करती हैं, लेकिन वर्ष के दौरान सोसायटी ने नकद आधार पर लेखांकन का पालन किया है, इसलिए किसी भी विभाजन का पता नहीं लगाया जा सकता।

<u>अन्य मामले</u>

गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के लेखों की दिल्ली-प्रधान कार्यालय से दूरस्थ रूप से जांच की गई है और इसलिए, विभिन्न पक्षों को सभी शेष राशि और लेनदेन सोसायटी के रिकॉर्ड के अनुसार लिए गए हैं और हमने उनपर विश्वास किया है। इन्हें लेखों में समाहित किया गया है।

आडिट के दौरान यह पाया गया कि सोसायटी अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता/विक्रता/ सेवा प्रदाता का खाता नहीं रखती हैं, जिसके कारण टी.डी.एस. आयकर और जी.एस.टी. के तहत सीमा की गणता का जोखिम है। इसे सीधे आकाउटिंग सॉफ्टवेयर से पता नहीं लगाया जा सकता हे और बाकी लेनदेन के कारण पार्टीवार खाता रखना संभव नहीं है।

<u>वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी</u>

सोसायटी प्रबंधन अन्य जानकारी की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों में निहित सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा मिथ्या प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

<u>प्रबंधन के उत्तरदायित्व और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के शासन के लिए उत्तरदायी</u>

सोसाइटी प्रबंधन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, सोसाइटी का वित्तीय निष्पादन भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इस उत्तरदायित्व में सोसायटी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य

अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान बनाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन संचालन जारी रखने की सोसायटी की क्षमता का आकलन करने, यथालागू प्रकटन करने, संचालन जारी रखने से सम्बंधित मामले और लेखांकन के संचालन जारी रखने के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन अथवा सोसाइटी को समाप्त करने या संचालन बंद करने की मंशा नहीं है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सोसायटी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

<u>वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व</u>

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखापरीक्षक जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगा, जब यह हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण की उलघंन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन इस बात पर हमारा मत व्यक्त नहीं करना है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के संचालन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकलना और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या कार्यों या स्थितियों से संबंधित एक बड़ी अनिश्चितता मौजूद है जो सोसाइटी के

मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण की उलघंन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन इस बात पर हमारा मत व्यक्त नहीं करना है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के संचालन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकलना और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या कार्यों या स्थितियों से संबंधित एक बड़ी अनिश्चितता मौजूद है जो सोसाइटी के संचालन जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण सोसाइटी का संचालन जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

संचालन जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण सोसाइटी का संचालन जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पाते हैं।

हम शासन के उत्तरदायित्व व्यक्तियों को कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय पर संवाद किया है।

<u>अन्य मामलों पर रिपोर्ट</u>

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे मत में, सोसायटी ने विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया है, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा, लेखों के अनुरूप हैं।

के लिए और उनकी ओर से
एम.के. अरोड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(पंजीकरण सं. 82966)

स्थान : दिल्ली
दिनांक

पार्टनर
एम.न. 082966
यूडीआईएन

लघु कृषक कषि व्यापार संघ

31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देयताएँ			
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	11,45,00,000	11,45,00,000
सामान्य निधि (आरक्षित और अधिशेष)	2	80,46,32,411	64,92,12,094
वृत्तिका निधि (निवल)	3	11,72,40,34,857	64,52,34,57,723
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	5	4,79,82,030	4,56,41,024
अचल परिसंपत्तियां (कॉन्ट्रा)	6	4,69,50,524	4,96,01,128
कुल		**12,73,80,99,822**	**65,38,24,11,969**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां (कॉन्ट्रा)	6	4,69,50,524	4,96,01,128
ऋण और अग्रिम	7	97,72,000	97,72,000
निवेश- (एफडीआर और उपार्जित ब्याज)	8	3,89,30,37,325	59,08,43,70,070
चालू परिसंपत्तियां,	9	8,78,83,39,973	6,23,86,68,771
कुल		**12,73,80,99,822**	**65,38,24,11,969**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	15		

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.के. अरोड़ा
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण सं. 04452एन)

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

एम.के. अरोड़ा
साझेदार
(सदस्यता सं. 082966)

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 25.09.2024

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष का आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
बिक्री/सेवाओं से आय	10	7,21,15,605.00	3,82,56,715.82
अर्जित ब्याज	11	7,28,31,203.64	5,33,55,626.65
अन्य आय	12	1,41,68,525.19	51,09,368.57
कुल (क)		**15,91,15,333.83**	**9,67,21,711.04**
व्यय			
स्थापना और अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	13	3,48,30,608.90	3,26,05,987.65
बेचे गए माल की लागत (अथ+क्रय-इति)		46,28,077.82	(2,62,99,439.44)
कुल (ख)		**3,94,58,686.72**	**63,06,548.21**
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) सामान्य निधि (भंडार एवं आरक्षित) में अग्रेनीत		**11,96,56,647.11**	**9,04,15,161.83**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	15		

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.के. अरोड़ा
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण सं. 04452एन)

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

एम.के. अरोड़ा
साझेदार
(सदस्यता सं. 082966)

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 25.09.2024

डॉ. रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '1' : कॉर्पस निधि अंशदान का ब्यौरा

(राशि रुपए में)

सदस्यों की सूची	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
प्रमोटर सदस्य		
भारत सरकार (कृषि मंत्रालय)	75,00,000.00	75,00,000.00
भारतीय रिजर्व बैंक	1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
भारतीय स्टेट बैंक	1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
प्राथमिक सदस्य		
केनरा बैंक	50,00,000.00	50,00,000.00
यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड,	50,00,000.00	50,00,000.00
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	20,00,000.00	20,00,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	50,00,000.00	50,00,000.00
स्थायी आमंत्रित सदस्य		
भारतीय निर्यात आयात बैंक	1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
कुल	**11,45,00,000.00**	**11,45,00,000.00**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू प्रबंध निदेशक	संजीव गौतम निदेशक
डॉ. रंजीत सिंह राजपूत उप निदेशक (परियोजना)	सतवीर कुमार लेखा अधिकारी

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली

31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची "2" : सामान्य निधि

(राशि रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
विगत तुलन-पत्र,मुख्यालय के अनुसार अग्र शेष	43,99,16,842	76,89,96,461
विगत तुलन-पत्र,क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार अग्र शेष	-	(4,05,49,222)
विगत तुलन-पत्र, मुख्यालय+क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार अग्र शेष	43,99,16,842	72,84,47,239
घटाया: समायोजन	(1,65,49,174)	(37,89,45,559)
घटाया गया आयकर (ब्याज और मांग सहित)	(2,36,63,350)	-
व्यय से अधिक आय (निवल	11,96,56,647	9,04,15,163
जमा: लाभ और हानि अग्र शेष	-	(22,89,446)
घटाया: समायोजन	-	22,89,446
जमा: वित्त वर्ष 2016-17 के बाद से संचित आय	28,52,71,446	20,92,95,251
कुल	**80,46,32,411**	**64,92,12,094**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

पीतम साहू प्रबंध निदेशक	संजीव गौतम निदेशक
डॉ. रंजीत सिंह राजपूत उप निदेशक (परियोजना)	सतबीर कुमार लेखा अधिकारी

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली
31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 3 अंकित वृत्तिका निधियां

(राशि रुपए में)

निधि का उपयोग	अनुसूची	क) निधियों का प्रारंभिक शेष:	ख) निधि में वृद्धि:	कुल (क+ख)	ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय	उपयोग की गई उद्यम पूंजी (अनुलग्नक 'ख')	डीएसी/एफपीओ आई को प्रतिदाय	कुल (ग)	तुलन-पत्र के अनुसार (क+ख-ग)
टैक मिशन		4,08,199.00	-	4,08,199.00			-	-	4,08,199.00
उद्यम पूंजी	3A&B	36,90,69,750.03	2,38,85,26,292.41	2,75,75,96,042.44	1,73,03,15,687.74	-	-	1,73,03,15,687.74	1,02,72,80,354.70
भारत में पोषक अन्न प्रचार अभियान		(5,11,592.00)		(5,11,592.00)				-	(5,11,592.00)
बफर स्टॉक (पीएसएफ)		73,43,73,386.64	1,02,92,100.00	74,46,65,486.64	46,43,411.83			46,43,411.83	74,00,22,074.81
बफर स्टॉक (पीएसएस)		20,93,788.00		20,93,788.00				-	20,93,788.00
केंद्रीय नोडल एजेंसी (एसएफएसी)-10000 एफपीओ		1,68,46,61,951.69	78,98,64,292.00	2,47,45,26,243.69	2,47,00,82,845.50			2,47,00,82,845.50	44,43,398.19
ईबीसीबी		1,12,31,64,951.58	12,74,68,059.28	1,25,06,33,010.86	2,43,00,811.38			2,43,00,811.38	1,22,63,32,199.48
एफएफपीओ-डीएसी		76,200.00	31,60,902.00	32,37,102.00	31,60,902.00			31,60,902.00	76,200.00
एफएफपीओ-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना		33,56,87,500.00	87,48,026.00	34,44,35,526.00	11,42,22,902.00			11,42,22,902.00	23,02,12,624.00
एफसमडीसीपी		-		-	-			-	-
सामान्य (एनवीआई)		(53,76,322.00)		(53,76,322.00)	(53,76,322.00)			(53,76,322.00)	-
कर्नाटक राज्य मसाला विकास बोर्ड		8,95,150.00		8,95,150.00	-			-	8,95,150.00
किसान मंडी		3,40,74,035.00		3,40,74,035.00	6,018.38			6,018.38	3,40,68,016.62
एमबीडीए		15,37,024.00		15,37,024.00	-			-	15,37,024.00
एमआईडीएच (डीएसी)		3,83,417.02	3,97,34,941.00	4,01,18,358.02	2,11,72,597.50			2,11,72,597.50	1,89,45,760.52
एमएसजी (एनआईवी)		(649.00)	-	-	649.00			649.00	(649.00)
राष्ट्रीय कृषि संस्कृति विपणन		88,95,925.60	58,77,02,017.00	59,65,97,942.60	35,52,25,743.88			35,52,25,743.88	24,13,72,198.72
एनडीपी-एनएफएसएम		7,44,92,625.00	-	7,44,92,625.00	32,00,000.00			32,00,000.00	7,12,92,625.00
पीएफडीसी		-		-	-			-	-
पीएम-किसान		2,42,214.00	-	2,42,214.00	-			-	2,42,214.00
मूल्य स्थिरता निधि	3C	59,33,12,48,178.13	61,92,70,91,858.91	1,21,25,83,40,037.04	1,13,31,37,69,384.55			1,13,31,37,69,384.55	7,94,45,70,652.49
दालें		2,53,07,803.00		2,53,07,803.00				-	2,53,07,803.00
आरकेवीवाई		-		-				-	-
आरकेवीवाई-डीएसी		63,12,900.00		63,12,900.00	-			-	63,12,900.00
आरओ गुवाहाटी परियोजना	RO	33,70,166.00	-	33,70,166.00	15,89,700.00			15,89,700.00	17,80,466.00
रायथू बाज़ार		13,35,039.00		13,35,039.00				-	13,35,039.00
10000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की योजना		64,76,55,297.50	1,86,93,05,841.50	2,51,69,61,139.00	2,51,69,61,139.00			2,51,69,61,139.00	-
(एनवीआई) (एनवीआई) के अंतर्गत विशेष परियोजनाएंविशेष परियोजनाएं		2,73,51,470.00		2,73,51,470.00	9,55,200.00			9,55,200.00	2,63,96,270.00
वेब पहल		11,67,09,315.00	-	11,67,09,315.00	17,71,800.00			17,71,800.00	11,49,37,515.00
भारत सरकार का अनुदान			23,11,464.30	23,11,464.30	23,11,464.30			23,11,464.30	-
एशियन इंडिया मोटा अनाज उत्सव			2,26,33,785.76	2,26,33,785.76	1,92,86,448.39			1,92,86,448.39	33,47,337.37
एक बाज़ार आरबीआई टीएसए डीएसएस 10के एफपीओ			4,65,14,09,707.00	4,65,14,09,707.00	4,65,14,09,707.00			4,65,14,09,707.00	-
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन			4,42,75,500.00	4,42,75,500.00	4,42,75,500.00			4,42,75,500.00	-
गणतंत्र दिवस 2024			24,00,000.00	24,00,000.00	11,63,199.00			11,63,199.00	12,36,801.00
स्वतंत्रता दिवस 2023			21,13,447.00	21,13,447.00	20,12,960.00			20,12,960.00	1,00,487.00
चालू वर्ष (2023-24)		64,52,34,57,723.19	72,47,70,38,234.16	1,37,00,04,96,606.35	1,25,27,64,61,749.45	-	-	1,25,27,64,61,749.45	11,72,40,34,856.90
पिछला वर्ष (2022-23)		59,29,66,91,231.88	56,87,50,68,903.94	1,16,17,17,60,135.82	51,64,83,02,413.13	-	-	51,64,83,02,413.13	64,52,34,57,723.19

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

नीरज साहू प्रबंध निदेशक	संजीव गौतम निदेशक
डॉ. रंजीत सिंह राजपूत उप निदेशक (परियोजना)	सतवीर कुमार लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली

31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '3-क' : उद्यम पूंजी

(राशि रु. में)

विवरण		**समाप्त वर्ष 2024 के लिए**	**समाप्त वर्ष 2023 के लिए**
उद्यम पूंजी सहायता निधि			
प्रारंभिक शेष	36,90,69,749.03		31,87,44,648.00
उद्यम पूंजी सहायता का संतुलन			
जमा: डी.ए.सी. से प्राप्त अनुदान	1,40,78,29,629.82		2,72,65,114.80
प्रशासकीय व्यय से प्राप्त अनुदान			
वी.सी.ए. से प्राप्त (प्रशासनिक व्यय)			
प्रचार अनुदान से प्राप्त			
परियोजना विकास निधि से प्राप्त			
घटाया: पीडीएफ में स्थानांतरित की गई शुद्ध राशि			
प्रचार अनुदान में हस्तांतरित की गई शुद्ध राशि			
वीसीए को हस्तांतरित शुद्ध राशि (प्रशासन व्यय)			
प्रशासनिक व्यय अनुदान			
डीएसी को रिफंड (लाभार्थियों द्वारा वीसीए वापस किया गया)	(77,05,29,545.30)		(1,09,58,35,773.47)
उद्यम पूंजी सहायता वसूली योग्य			
परियोजना विकास निधि			
प्रारंभिक शेष	2,62,90,003.15		1,12,76,51,092.70
अप्रयुक्त परियोजना विकास			
जमा: वीसीए से प्राप्त शुद्ध अनुदान			
घटाया: व्यय			
वीसीए सहायता में स्थानांतरण			
प्रचार अनुदान			
प्रारंभिक शेष			
जमा: वीसीए से प्राप्त शुद्ध अनुदान			
घटाया : व्यय			
वीसीए सहायता में स्थानांतरण	(53,79,482.00)		(87,55,333.00)
प्रशासनिक व्यय अनुदान			
प्रारंभिक शेष			
जमा: अनुदान प्राप्त हुआ			
घटाया: प्रशासनिक व्यय			
वी.सी. सहायता को हस्तांतरित			
कुल	**1,02,72,80,354.70**		**36,90,69,749.03**

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली

31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '3-ख' : उद्यम पूंजी

(राशि रु. में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	लेन-देन		जमा शेष
		Dr.	करोड़	
वित्तीय वर्ष 2008-09 से पहले	20,40,61,183.00	2,000.00	31,08,224.00	20,09,54,959.00
वित्तीय वर्ष 2008-09	5,71,39,000.00	5,000.00	6,82,000.00	5,64,62,000.00
वित्तीय वर्ष 2009-10	6,76,33,000.00	-	7,80,000.00	6,68,53,000.00
वित्तीय वर्ष 2010-11	6,02,84,000.00	4,76,553.00	23,00,553.00	5,84,60,000.00
वित्तीय वर्ष 2011-12	9,59,64,200.00	24,712.00	69,32,962.00	8,90,55,950.00
वित्तीय वर्ष 2012-13	10,63,76,500.00	-	88,51,184.00	9,75,25,316.00
वित्तीय वर्ष 2013-14	17,12,69,985.42	28,25,670.00	4,43,98,998.42	12,96,96,657.00
वित्तीय वर्ष 2014-15	23,17,36,672.02	4,81,758.00	3,65,13,136.00	19,57,05,294.02
वित्तीय वर्ष 2015-16	9,09,50,500.00	15,45,611.00	2,39,92,361.00	6,85,03,750.00
वित्तीय वर्ष 2016-17	36,53,25,500.00	5,83,696.00	15,20,07,891.64	21,39,01,304.36
वित्तीय वर्ष 2017-18	55,43,78,181.00	35,06,086.00	27,71,85,586.00	28,06,98,681.00
वित्तीय वर्ष 2018-19	1,00,37,49,250.00	15,159.00	27,77,19,659.00	72,60,44,750.00
वित्तीय वर्ष 2019-20	92,40,81,000.00	24,831.00	6,70,07,581.00	85,70,98,250.00
वित्तीय वर्ष 2020-21	38,97,89,000.00	-	1,38,17,000.00	37,59,72,000.00
वित्तीय वर्ष 2021-22	42,86,81,000.00	-	73,94,000.00	42,12,87,000.00
				-
कुल	**4,75,14,18,971.44**	**94,91,076.00**	**92,26,91,136.06**	**3,83,82,18,911.38**

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '3-ग': मूल्य स्थिरीकरण निधि

(राशि रुपए में)

विवरण		समाप्त वर्ष, मार्च 2024 के लिए		समाप्त वर्ष, मार्च 2023 के लिए
प्रारंभिक जमा		59,33,12,48,178.21		54,94,17,71,275.42
<u>जमा:</u> प्राप्त अनुदान	50,53,425.00	50,53,425.00	94,13,856.39	94,13,856.39
एफडीआर (पीएसएफ) से प्राप्त ब्याज	2,25,35,66,164.00		2,34,98,82,416.00	
सिफेट से अप्रयुक्त आय	3,96,610.00			
मैसर्स एमएमटीसी लिमिटेड से बिक्री आय	9,21,01,293.00			
मैसर्स केन्द्रीय भंडार से बिक्री आय	68,67,16,676.00			
मैसर्स गुजरात स्टेट सीएमएफ से बिक्री आय	71,32,06,080.00			
मैसर्स एनसीसीएफ से बिक्री आय	11,29,67,45,626.00			
मैसर्स नेफेड से बिक्री आय	46,87,93,59,409.91	61,92,20,91,858.91	47,86,30,67,233.00	50,21,29,49,649.00
<u>घटाया: डीओसीए को धन वापसी</u>				-
<u>घटया:</u> केंद्रीय एजेंसियों को कार्यशील पूंजी का अग्रिम भुगतान				
मैसर्स नैफेड	76,93,50,89,493.55		41,39,54,16,652.60	
मैसर्स एनसीसीएफ	35,74,50,81,351.00		4,42,56,60,094.00	
मैसर्स भारतीय खाद्य निगम	18,15,33,028.00			
मैसर्स सिफेट	2,27,18,000.00			
मैसर्स इन्वेस्ट इंडिया	3,68,49,007.00			
मैसर्स एसएफएसी	96,73,030.00		1,18,09,856.00	
नागालैंड सरकार	37,50,00,000.00			
अन्य व्यक्तिगत एजेंसियाँ (संदर्भ एस-3सी(1))	78,78,900.00			
		1,13,31,38,22,809.55		45,83,28,86,602.60
कुल		**7,94,45,70,652.57**		**59,33,12,48,178.21**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज कुमार
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '3-ग (1) ': मूल्य स्थिरीकरण निधि

(राशि रु. में)

विवरण	अथ शेष	लेन-देन		अन्त शेष
		नामे	जमा	
एक्रोनियंस		2,50,000.00		2,50,000.00
अलविना फ़ारूक़ी		4,000.00		4,000.00
अमोल चिदरावार		8,000.00		8,000.00
अंजलि भोईटे		3,000.00		3,000.00
चेतन आर		1,800.00		1,800.00
चिल ओनियन		1,00,000.00		1,00,000.00
डिहाइड्रेड		1,00,000.00		1,00,000.00
दिलमेहक कौर		1,00,000.00		1,00,000.00
ज्ञानोबा नारायणराव भीसे		8,000.00		8,000.00
डॉ. अमृता बेहरा		50,000.00		50,000.00
डॉ.ए.थंगासामी		16,900.00		16,900.00
डॉ. भूषण रत्नाकर बिबवे		21,000.00		21,000.00
डॉ. बी.एन. श्रीनिवास मूर्ति		7,900.00		7,900.00
डॉ.जी.सैंथिल कुमारन		3,000.00		3,000.00
डॉ. हेमंत देशपांडे		20,750.00		20,750.00
डॉ. एम.माधव नायडू		10,300.00		10,300.00
डॉ. एम.एम.मथेश्वरम		50,000.00		50,000.00
डॉ. प्रबोध हल्दे		1,800.00		1,800.00
डॉ. प्रवीण घाटे		1,800.00		1,800.00
डॉ. रचना दवे		3,00,000.00		3,00,000.00
डॉ. राजीव बलिराम काले		17,000.00		17,000.00
डॉ.रोहिणी शर्मा		10,000.00		10,000.00
डॉ. सानू जैकब		11,000.00		11,000.00
डॉ.तुलसीदास बलिराम बस्तेवाड		10,000.00		10,000.00
डॉ.वी.अकीलंदेश्वरी		1,50,000.00		1,50,000.00
एश्वरय्या रामिरेड्डी		2,500.00		2,500.00
आईनेटएक्वा		1,00,000.00		1,00,000.00
फेरोमैटेक		2,50,000.00		2,50,000.00
खाद्य प्रौद्योगिकी आरजीयू(एफटी आरजीयू)		1,00,000.00		1,00,000.00
गोदाम इनोवेशन		3,50,000.00		3,50,000.00
गुरुमूर्ति हेगड़े		6,50,000.00		6,50,000.00
आइसोमेक		3,50,000.00		3,50,000.00
ज्योति सोनटक्के गोखले		1,800.00		1,800.00
कलीमुल्लाह शेख		1,800.00		1,800.00
कल्याणी शिंदे		3,00,000.00		3,00,000.00
कृति लैब्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड		1,00,000.00		1,00,000.00
लक्ष्मीकांत एस.बडवाइक		1,800.00		1,800.00
माइक्रोजीओ		3,50,000.00		3,50,000.00
नवाया		2,50,000.00		2,50,000.00
नगनखम जॉयकुमार		3,000.00		3,000.00

निलय आसित शान		19,100.00		19,100.00
नीलेश लेले		11,000.00		11,000.00
नीलकंठ गड़ाख		50,000.00		50,000.00
पूनम शर्मा		9,000.00		9,000.00
प्रज्ञा गोयल		4,00,000.00		4,00,000.00
प्रसंस्करण और खाद्य इंजीनियरिंग		1,00,000.00		1,00,000.00
प्रो.एच.प्रताप कुमार		1,800.00		1,800.00
प्रोफ़ेसर नगासेप्पम इबोयाइमा		3,000.00		3,000.00
प्यिन्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड		1,00,000.00		1,00,000.00
राज कुमार अर्जुन दगड़खैर		9,000.00		9,000.00
अनुसंधान का दृष्टिकोण		1,00,000.00		1,00,000.00
ऋषभ कुमार सावनसुखा		1,800.00		1,800.00
सागर वसंत गोखले		16,550.00		16,550.00
सीमा शुक्ला		2,000.00		2,000.00
शैलेश कुमार		1,00,000.00		1,00,000.00
शालिनी एस आर्या		3,000.00		3,000.00
शिनी यूनिकॉर्न्स		3,50,000.00		3,50,000.00
श्रीनिथिर		50,000.00		50,000.00
स्मिता लेले		18,000.00		18,000.00
स्नेहाशीष चक्रवर्ती		1,900.00		1,900.00
स्पेक्ट्रल नेत्र		3,50,000.00		3,50,000.00
सुभाप्रदा निष्टला		8,000.00		8,000.00
ब्रेनियाक्स		3,50,000.00		3,50,000.00
टमोटे ग्रैंड चैलेंज		5,93,700.00		5,93,700.00
तुम्माला ज्योतिर्मयी		1,800.00		1,800.00
उदय श्रीरामराव अन्नापुरे		1,800.00		1,800.00
उमेश कांबले		10,300.00		10,300.00
वी.अरुण प्रसाद		1,00,000.00		1,00,000.00
विवेक घाटे एम		4,00,000.00		4,00,000.00
यशवंत नंदी		6,50,000.00		6,50,000.00
कुल	-	**78,78,900.00**	-	**78,78,900.00**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची- 4 सुरक्षित ऋण एवं उधार

(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
	मुख्यालय	मुख्यालय
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीसी खाता	-	-
कुल	-	-

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रंजीत सिंह राजपूत
उप निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-5 चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष 2024 के लिए			पिछला वर्ष 2023 के लिए		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
लेखापरीक्षा शुल्क	-		-	54,000.00	-	54,000.00
[illegible]	3,75,000.00		3,75,000.00	3,75,000.00		3,75,000.00
देय [illegible] राशि	40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
[illegible]	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
[illegible]	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00
देय [illegible]	1,16,82,592.00		1,16,82,592.00	1,17,74,736.00	-	1,17,74,736.00
[illegible]	96,421.00		96,421.00	4,51,589.00		4,51,589.00
देय [illegible]	1,52,99,428.00		1,52,99,428.00	1,51,62,397.00		1,51,62,397.00
देय ब्याज ([illegible])	99,55,742.05		99,55,742.05	70,59,027.79		70,59,027.79
[illegible]	30,801.00		30,801.00	-		-
[illegible] शुल्क देय	-		-	4,21,157.00		4,21,157.00
[illegible] के लिए प्रावधान	1,07,593.00		1,07,593.00	1,07,593.00		1,07,593.00
देय [illegible]	69,775.00		69,775.00	21,68,153.00	-	21,68,153.00
प्रतिभूति राशि ([illegible])	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
प्रतिभूति राशि ([illegible])	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
प्रतिभूति राशि - [illegible]	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
प्रतिभूति राशि ([illegible])	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
प्रतिभूति राशि [illegible]	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00
प्रतिभूति राशि ([illegible])	5,800.00		5,800.00	5,800.00		5,800.00
प्रतिभूति राशि [illegible]	-		-	12,184.00		12,184.00
प्रतिभूति राशि ([illegible]) [illegible]			-	-		-
प्रतिभूति राशि ([illegible])	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00
प्रतिभूति राशि [illegible] 15-[illegible] ([illegible])	15,750.00		15,750.00	15,750.00		15,750.00
प्रतिभूति राशि [illegible]	-		-	8,000.00		8,000.00
प्रतिभूति राशि [illegible] कुमार	17,980.00		17,980.00	-		-
प्रतिभूति राशि ([illegible])	6,90,542.00		6,90,542.00	7,86,263.00		7,86,263.00
[illegible]	6,294.00		6,294.00	6,294.00		6,294.00
[illegible] - [illegible]	2,70,000.00		2,70,000.00	2,70,000.00		2,70,000.00
देय [illegible]	92,15,412.00		92,15,412.00	68,32,080.00		68,32,080.00
[illegible]	900.00		900.00		-	-
[illegible]	11,000.00		11,000.00			-
कुल	**4,79,77,030.05**	**5,000.00**	**4,79,82,030.05**	**4,56,41,023.79**	**-**	**4,56,41,023.79**

P

[illegible]
प्रबंध निदेशक

[illegible]
निदेशक

डॉ. [illegible]
उप निदेशक ([illegible])

[illegible] कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली
31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची - 6 अचल संपत्तियों का सारांश

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त व 2023के लिए
मुख्यालय सामान्य निधि	6-क	10,84,225.00	12,14,282.00
क्षेत्रीय सामान्य निधि	6-क	57,313.00	66,053.00
भारत सरकार निधि	6-ख	4,31,97,982.16	4,55,09,446.45
वीसीएफ निधि	6-ग	16,12,019.51	18,67,209.43
एमकानी निधि	6-घ	86.00	143.00
किसान मंडी निधि	6-ड.	-	-
पीएफएफ निधि	6-च	2,60,888.00	1,11,633.00
ई-नाम निधि	6-छ	3,99,314.00	4,61,431.00
ईजीसीजीएफ निधि	6-ज	3,38,696.00	3,04,877.00
अचल परिसंपत्तियां क्षेत्रीय कार्यालय		-	66,053.00
कुल		**4,69,50,523.67**	**4,96,01,127.88**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

पंकज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रणजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतबीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची '6-क' - अचल संपत्तियां (सामान्य निधि)

(राशि रुपए में)

विवरण	ब्लॉक	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/बट्टे-खाते	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%							
मुख्य कार्यालय		2,97,557.00		-	-	2,97,557.00	29,756.00	2,67,801.00
क्षेत्रीय कार्यालय		26,561.00		-	-	26,561.00	2,656.00	23,905.00
वाटर डिस्पेंसर	10%	3,312.00	-	-	-	3,312.00	331.00	2,981.00
फोटोकॉपियर कैनन	15%	73,983.00	-	-	-	73,983.00	11,097.00	62,886.00
रेफ्रिजरेटर	15%	966.00	-	36,400.00	-	37,366.00	2,875.00	34,491.00
टी.वी. सेट	15%	8,359.00	-	-	-	8,359.00	1,254.00	7,105.00
एयर कंडीशनर (आर.ओ.)	15%	18,920.00	-	-	-	18,920.00	2,838.00	16,082.00
डिजिटल कैमरा (आर.ओ.)	15%	1,135.00	-	-	-	1,135.00	170.00	965.00
मोबाइल हैंडसेट (आर.ओ.)	15%	3,781.00	-	-	-	3,781.00	567.00	3,214.00
मोबाइल हैंडसेट (आर.ओ.)	15%	31,475.00	-	-	-	31,475.00	4,721.00	26,754.00
एप्पल आई-पैड	15%	11,119.00	-	-	-	11,119.00	1,668.00	9,451.00
सीसीटीवी कैमरा	15%	7,783.00	-	-	-	7,783.00	1,167.00	6,616.00
दीवार/एग्जास्ट	15%	1,730.00	-	10,000.00	-	11,730.00	1,010.00	10,720.00
कार्यालय उपकरण	15%							
मुख्य कार्यालय		85,314.00	-	-	-	85,314.00	12,797.00	72,517.00
टेलीफोन (एच.ओ.)	15%	1,12,588.00	-		-	1,12,588.00	16,888.00	95,700.00
विद्युत् उपकरण	15%							
मुख्य कार्यालय		17,218.00	-	-	-	17,218.00	2,583.00	14,635.00
क्षेत्रीय कार्यालय		747.00	-	-	-	747.00	112.00	635.00
कंप्यूटर और सहायक उपकरण	40%							
मुख्य कार्यालय		427.00	-	-	-	427.00	171.00	256.00
क्षेत्रीय कार्यालय		640.00	-	-	-	640.00	256.00	384.00
लैपटॉप	40%	23,084.00	-	-	-	23,084.00	9,234.00	13,850.00
ज़ेरॉक्स मशीन आरओ	15%	10,713.00	-	-	-	10,713.00	1,607.00	9,106.00
कार (सियाज़) - (एच ओ)	15%	5,39,367.00	-	-	-	5,39,367.00	80,905.00	4,58,462.00
फैक्स मशीन आरओ	15%	1,187.00	-	-	-	1,187.00	178.00	1,009.00
इन्वर्टर आर.ओ.	15%	1,572.00	-	-	-	1,572.00	236.00	1,336.00
वाटर फिल्टर-कम-प्यूरिफायर आर.ओ.	15%	797.00	-	-	-	797.00	120.00	677.00
योग		**12,14,282.00**	**-**	**46,400.00**	**-**	**12,60,682.00**	**1,76,457.00**	**10,84,225.00**
आर.ओ. योग		**66,053.00**	**-**	**-**	**-**	**66,053.00**	**8,740.00**	**57,313.00**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रवीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतबीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची '6-ख' अचल संपत्तियां (भारत सरकार निधि)

(राशि रुपए में)

विवरण	ब्लॉक	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/बट्टे-खाते	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
पट्टा-धारित भवन	5%	2,73,41,441.00	-	-	-	2,73,41,441.00	13,67,072.00	2,59,74,369.00
फ्लैट	5%	1,75,96,106.45	-	-	-	1,75,96,106.45	8,79,805.97	1,67,16,300.48
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	4,23,952.60	-	-	-	4,23,952.60	42,394.86	3,81,557.74
एयर कंडीशनर	15%	40,968.25	-	-	-	40,968.25	6,145.29	34,822.96
फ़ैक्स मशीन	15%	1,088.95	-	-	-	1,088.95	163.24	925.71
कार्यालय उपकरण	15%	53,799.25	-	-	-	53,799.25	8,069.69	45,729.56
फोटोकॉपियर	15%	7,006.35	-	-	-	7,006.35	1,051.15	5,955.20
टेलीफोन उपकरण	15%	12,764.05	-	-	-	12,764.05	1,914.16	10,849.89
डीजी सेट	15%	24,881.45	-	-	-	24,881.45	3,731.97	21,149.48
अग्निशमन उपकरण	15%	7,438.10	-	-	-	7,438.10	1,115.97	6,322.14
योग		**4,55,09,446.45**	**-**	**-**	**-**	**4,55,09,446.45**	**23,11,464.29**	**4,31,97,982.16**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची
[illegible]

(राशि रु. में)

विवरण	दर	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/कटौती	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
एयर कंडीशनर	15%	2,87,919.00				2,87,919.00	43,188.00	2,44,731.00
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	7,42,101.60		-		7,42,101.60	74,210.06	6,67,891.54
डीजी सेट	15%	29,638.05				29,638.05	4,445.46	25,192.59
कार्यालय उपकरण	15%	1,43,012.40				1,43,012.40	21,451.96	1,21,560.44
फ्रिज (पीडीएफ)	15%	12,673.00				12,673.00	1,901.00	10,772.00
कूलर फैन- पीडीएफ	15%	12,129.00				12,129.00	1,819.00	10,310.00
वाटर प्यूरीफायर (पीडीएफ)	15%	9,217.00				9,217.00	1,383.00	7,834.00
टेलीफोन उपकरण	15%	56,529.28		-		56,529.28	8,479.79	48,049.48
साइकिल	15%	250.65				250.65	37.70	212.95
कम्प्यूटर	40%	1,50,237.20	-			1,50,237.20	60,094.68	90,142.52
फोटोवोल्टिक	8%	3,74,686.25	-			3,74,686.25	28,101.27	3,46,584.98
प्रिंटर पीडीएफ	40%	353.00				353.00	141.00	212.00
कम्प्यूटर/लैपटॉप (पीडीएफ)	40%	10,670.00				10,670.00	4,268.00	6,402.00
रूम हीटर (पीडीएफ)	15%	8,770.00				8,770.00	1,316.00	7,454.00
टीवी 55 इंच	15%	29,023.00				29,023.00	4,353.00	24,670.00
कुल		18,67,209.43	-	-	-	18,67,209.43	2,55,189.92	16,12,019.51

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

[illegible]
प्रबंध निदेशक

[illegible]
निदेशक

डॉ. [illegible]
उप निदेशक ([illegible])

[illegible] कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '6-क' - अचल संपत्ति ([illegible])

(राशि रु.)

विवरण	स्लैब	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/बट्टे-खाते	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
कंप्यूटर	40%	143.00	-	-	-	143.00	57.00	86.00
		143.00	-	-	-	143.00	57.00	86.00

अनुसूची '6-ख'- अचल संपत्ति ([illegible])

(राशि रु.)

विवरण	स्लैब	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/बट्टे-खाते	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	-	-	-	-	-	-	-
वाटर डिस्पेंसर	10%	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण-								
इलेक्ट्रॉनिक स्केल	15%	-	-	-	-	-	-	-
पंखा	15%	-	-	-	-	-	-	-
बैग सिलाई मशीन	15%	-	-	-	-	-	-	-
सीसीटीवी कैमरा	15%	-	-	-	-	-	-	-
हैंड पैलेट ट्रक	15%	-	-	-	-	-	-	-
सफाई और ग्रेडिंग मशीन	15%	-	-	-	-	-	-	-
वजन तौलने की मशीन	15%	-	-	-	-	-	-	-
अग्निशामक यंत्र मशीन	15%	-	-	-	-	-	-	-
कंप्यूटर	40%	-	-	-	-	-	-	-
योग		-	-	-	-	-	-	-

अनुसूची '6-ग' - अचल संपत्ति ([illegible])

(राशि रु.)

विवरण	स्लैब	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/बट्टे-खाते	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
कंप्यूटर	40%	10,939.00	-	2,12,100.00	-	2,23,039.00	46,794.00	1,76,244.00
प्रिंटर	40%	3,251.00	-	-	-	3,251.00	1,300.00	1,951.00
[illegible]	40%	3,570.00	-	-	-	3,570.00	1,428.00	2,142.00
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	15%	78,755.00	-	-	-	78,755.00	11,813.00	66,942.00
स्टील की अलमारी	10%	15,121.00	-	-	-	15,121.00	1,512.00	13,609.00
योग		1,11,636.00	-	2,12,100.00	-	3,23,736.00	62,847.00	2,60,888.00

अनुसूची '6-घ' - अचल संपत्ति ([illegible])

(राशि रु.)

विवरण	स्लैब	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/बट्टे-खाते	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
कंप्यूटर	40%	10,386.00	-	-	-	10,386.00	4,154.00	6,232.00
कंप्यूटर और सहायक उपकरण	20%	3,293.00	-	-	-	3,293.00	659.00	2,634.00
प्रिंटर	40%	6,116.00	-	-	-	6,116.00	2,446.00	3,670.00
टेलीफोन उपकरण	15%	27,740.00	-	-	-	27,740.00	4,161.00	23,579.00
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	2,21,916.00	-	-	-	2,21,916.00	22,192.00	1,99,724.00
वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण	15%	1,86,135.00	-	-	-	1,86,135.00	27,920.00	1,58,215.00
वाटर डिस्पेंसर	10%	5,845.00	-	-	-	5,845.00	585.00	5,260.00
योग		4,61,431.00	-	-	-	4,61,431.00	62,117.00	3,99,314.00

अनुसूची '6-ङ' - अचल संपत्ति ([illegible])

(राशि रु.)

विवरण	स्लैब	01/04/2023 को ह्रासित मूल्य	30/09/2023 तक का योग	30/09/2023 के बाद का योग	बिक्री/बट्टे-खाते	31/03/2024 को कुल	वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31/03/2024 को ह्रासित मूल्य
[illegible]	40%	76,380.00	-	18,655.00	-	95,235.00	34,363.00	60,872.00
प्रिंटर	40%	8,117.00	-	-	-	8,117.00	3,247.00	4,870.00
विद्युत उपकरण (पंखा, आदि)	15%	2,550.00	13,600.00	-	-	16,150.00	2,423.00	13,727.00
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर [illegible]	15%	2,17,630.00	-	-	-	2,17,630.00	32,645.00	1,84,985.00
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	-		69,650.00	-	69,650.00	3,483.00	66,167.00
कार्यालय उपकरण	15%	-	9,500.00		-	9,500.00	1,425.00	8,075.00
योग		3,04,877.00	23,100.00	88,305.00	-	4,16,282.00	77,586.00	3,38,696.00

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

[illegible]
प्रबंध निदेशक

[illegible]
निदेशक

डॉ. [illegible]
उप-निदेशक ([illegible])

[illegible]
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली

31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '7': ऋण और अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
गोमुख पर्यावरणीय ट्रस्ट	22,50,000.00	22,50,000.00
गुड्स समारितन सोशल सर्विस एसोसिएशन	46,02,000.00	46,02,000.00
लद्दाख फूड्स लिमिटेड	25,00,000.00	25,00,000.00
असम एरोमा हर्ब्स लिमिटेड	4,20,000.00	4,20,000.00
योग	**97,72,000.00**	**97,72,000.00**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली
31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची '8' : सावधि जमा (अन्य निवेश)

(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
सावधि जमा (कॉर्पस)		
भारतीय स्टेट बैंक के साथ सावधि जमा	11,45,00,000.00	11,45,00,000.00
	11,45,00,000.00	11,45,00,000.00
सावधि जमा (सामान्य)		
केनरा बैंक में सावधि जमा	8,00,00,000.00	-
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	10,00,00,000.00	13,66,00,000.00
पंजाब नेशनल बैंक में सावधि जमा	30,26,25,419.00	26,25,419.00
	48,26,25,419.00	13,92,25,419.00
सावधि जमा क्रेडिट गारंटी / इक्विटी अनुदान (ब्याज)		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा	1,04,77,577.00	2,09,55,154.00
बी.ओ.एम में सावधि जमा	72,50,00,000.00	72,50,00,000.00
कॉर्पोरेशन बैंक में सावधि जमा	1,04,77,577.00	2,09,55,154.00
एच.डी.एफ.सी. में सावधि जमा	4,24,39,950.30	4,24,39,950.30
पी.एन.बी. में सावधि जमा	-	30,00,00,000.00
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	20,43,61,932.00	15,23,87,885.00
	99,27,57,036.30	1,26,17,38,143.30
सावधि जमा (मूल्य स्थिरीकरण निधि)		
केनरा बैंक में सावधि जमा	-	25,02,28,25,648.00
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	-	8,33,01,34,557.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा	1,50,65,66,391.00	23,50,87,50,799.00
	1,50,65,66,391.00	56,86,17,11,004.00
सावधि जमा (डीडीए)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	5,77,00,000.00	5,86,05,971.86
सावधि जमा (ग्रेच्युटी)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	27,09,000.00	27,09,000.00
सावधि जमा (टीएम)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	13,16,279.00	13,16,279.00
	6,17,25,279.00	6,26,31,250.86
सावधि जमा (एनवीआई)		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा	2,00,00,000.00	-
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	33,00,00,000.00	10,90,00,000.00
एच.डी.एफ.सी. में सावधि जमा	22,42,237.00	22,42,237.00
	35,22,42,237.00	11,12,42,237.00
सावधि जमा वीसीए)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	-	4,12,00,000.00
	-	4,12,00,000.00
सावधि जमा (दालें)		

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	7,47,25,953.00	9,13,00,000.00
	7,47,25,953.00	9,13,00,000.00
सावधि जमा (ऑटो स्वीप)		
ऑटो स्वीप -10059-बैंक ऑफ बड़ौदा-सावधि जमा	7,22,53,272.00	91,04,768.00
ऑटो स्वीप - केनरा 5717 (सामान्य)		60,00,000.00
ऑटो स्वीप - कॉर्प/यूबी 3490 (किसान मंडी)	1,99,76,204.00	89,40,000.00
ऑटो स्वीप- एसबी -34210564422-ई-नाम	-	21,40,000.00
ऑटो स्वीप - एस.बी.आई. 0060 (वेंज पहल)	-	24,98,85,434.00
ऑटो स्वीप -एस.बी.आई. 3437 (ईजीसीजी)	7,63,54,359.58	7,63,55,008.58
ऑटो स्वीप - एस.बी.आई. 4017 (डीडीए किराया)	58,84,943.00	1,57,299.00
ऑटो स्वीप -एस.बी.आई. 4263 (दाल खरीद)	1,90,36,328.00	4,11,217.00
ऑटो स्वीप - एस.बी.आई. 6007- वीसीए (रिफंड)	2,61,33,392.00	2,21,63,393.00
सीएससीए - सावधि जमा 01/150001 (पीएसएफ)	-	1,39,62,970.00
ऑटो स्वीप - एस.बी.आई. 10172-सावधि जमा	-	1,00,000.00
ऑटो स्वीप - एस.बी.आई. 7821- ग्रेच्युटी/अवकाश नकदीकरण	70,000.00	
	21,97,08,498.58	38,92,20,089.58
सावधि जमा एफपीओ		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा (एफपीओ)	-	1,04,77,576.00
	-	1,04,77,576.00
क्षेत्रीय कार्यालय सहित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	8,81,86,511.34	**11,24,350.34**
योग	**3,89,30,37,325.22**	**59,08,43,70,070.08**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली
31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 9- चालू परिसंपत्तियाँ

(राशि रु.)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रिम सहित) (आर.ओ.)		-
हाथ में नकदी शेष (आर.ओ.)		
बैंक शेष: चालू खाते		
एस.बी.आई. ए/सी31225587821	5,46,005.30	1,44,844.30
एस.बी.आई. सी/ए 30054208902	18,94,674.02	21,89,339.52
एस.बी.आई. सी/ए 30054210172	1,00,470.00	1,82,023.00
एस.बी.आई. सी/ए 3027554017	10,725.47	11,945.80
एस.बी.आई. सी/ए 30717006007	1,04,559.01	1,04,885.01
एस.बी.आई. सी/ए 31806790060(वेंज पहल)	25,192.24	5,16,223.24
एस.बी.आई. सी/ए 32438354263	14,935.81	(21,395.23)
एस.बी.आई. सी/ए 34210564422	10,339.83	43,046.55
एस.बी.पी. सी/ए-00000065175133437	2,133.78	(1,68,427.00)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सी/ए-1626	27,69,663.79	48,71,395.17
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सी/ए-3490	92,42,703.46	4,99,613.07
बचत खाते		
एक्सिस बैंक खाता सं. 920010072086429 आर.ओ.गुवाहाटी	12,13,265.00	12,13,265.00
बैंक ऑफ बड़ौदा 22750100010059 एफपीओ	5,50,999.30	5,51,340.50
बैंक ऑफ बड़ौदा 22750100027293 एफपीओ	23,18,64,938.00	33,56,87,500.00
बीओएम 60383069774 वीसीए रिफंड	51,22,80,175.25	34,00,24,650.84
केनरा बैंक बजत खाता 35717	54,02,57,547.21	(51,94,465.25)
सीएनए खाता सं.. 41066951386-एस.बी.आई.-FPO	1,25,81,167.69	2,33,41,25,810.69
सीएनए होल्डिंग खाता सं. 41066197176	11,475.00	-
एच.डी.एफ.सी. 50100258490301 जीपी	14,57,830.66	14,14,817.66
एच.डी.एफ.सी. 50100258887201 जीके	6,61,706.00	6,42,183.00
एस.बी.आई. खाता सं. 38271781594 (PM-Kisan)	24,50,94,813.50	1,00,86,434.50
एस.बी.आई. बचत खाता 10429084505	68,91,626.63	10,15,589.85
एस.बी.आई. बचत खाता सं. (आर.ओ.)	4,82,187.58	4,69,275.58
एस.बी.पी. बचत खाता 65224687574	6,41,40,24,170.29	2,44,73,32,490.03
एस.बी.पी. बचत खाता 41773606878	1,85,52,207.00	
एस.बी.पी. बचत खाता 049422010000882	33,47,337.57	
विविध देनदार		
मैसर्स एनसीडीईएक्स (ई-नीलामी)	(1,90,473.00)	(1,90,473.00)
मैसर्स नेफेड	37,30,83,743.89	37,30,83,743.89
मैसर्स तमिलनाडु सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन	(98,280.00)	(98,280.00)
योग (क)	**8,37,67,87,840.28**	**5,84,85,37,376.72**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली
31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 9- चालू परिसंपत्तियाँ

(राशि रु.)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
प्रतिभूति जमा राशि		
प्रतिभूति जमा राशि (प्रबंध निदेशक के लिए एयरटेल लैंडलाइन)	1,000.00	1,000.00
प्रतिभूति जमा राशि (सीएनजी)	15,000.00	15,000.00
प्रतिभूति जमा राशि डीडीए फ्लैट (बिजली मीटर)	1,07,100.00	1,07,100.00
प्रतिभूति जमा राशि डीडीए फ्लैट (पानी मीटर)	7,840.00	7,840.00
प्रतिभूति जमा राशि (बिजली मीटर)	2,500.00	2,500.00
प्रतिभूति जमा राशि फ्लैट 36-टी आईजीएल गैस कनेक्शन	7,000.00	7,000.00
प्रतिभूति जमा राशि (एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड)	7,83,708.00	7,83,708.00
प्रतिभूति जमा राशि ऑफिस किराया आर.ओ. गुवाहाटी	60,000.00	60,000.00
प्रतिभूति जमा राशि (किराया)	60,000.00	60,000.00
प्रतिभूति जमा राशि (टेलीफ़ोन)	24,420.00	24,420.00
प्रतिभूति जमा राशि (पानी मीटर)	3,750.00	3,750.00
प्रतिभूति जमा राशि (एनएससी)	20,000.00	20,000.00
प्रतिभूति जमा राशि (सीएसटी)	10,000.00	10,000.00
प्रतिभूति जमा राशि (वी ए टी)	10,000.00	10,000.00
प्रतिभूति जमा राशि - टेलीफोन आर.ओ.	2,500.00	2,500.00
प्रतिभूति जमा राशि निविदा	5,000.00	-
प्रतिभूति जमा राशि (भारती एयरटेल लिमिटेड)	5,725.00	5,725.00
आयकर (रिफंड)		
आकलन वर्ष 2012-13	7,43,950.00	7,43,950.00
आकलन वर्ष 2016-17	81,90,248.00	81,90,248.00
आकलन वर्ष 2019-20	81,66,358.00	81,66,358.00
आकलन वर्ष 2020-21	17,09,514.00	17,09,514.00
Other Advances		
प्राप्य व्यय (विविध)	-	25,723.00
किसान मंडी को ऋण	30,00,000.00	30,00,000.00
अन्य अग्रिम	72,000.00	15,932.00
पीएसएफ (समापन स्टॉक)	4,74,57,895.70	5,20,85,973.52
प्राप्य किराया (एनएचबी)	42,06,478.40	5,76,440.00
प्राप्य किराया	27,753.00	-
प्राप्य टीडीएस	9,01,755.45	19,03,655.20
अग्रिम कर	2,29,13,202.00	-
अग्रदाय	10,000.00	-
न्यूनतम समर्थन मूल्य-(दालें)		
दूसरा सीज़न	1,865.84	1,306.08
एफएफपीवीएस (पश्चिम बंगाल) प्राप्य	1,24,587.00	1,24,587.00
वी आई यू सी (प्राप्य) का प्रभाव आकलन अध्ययन	18,67,873.00	18,67,873.00
झारखंड प्राप्य एनवीआई	44,69,099.00	44,69,099.00
कर्नाटक दाल प्राप्य	6,99,654.00	6,99,654.00
उत्तर प्रदेश प्राप्य दालें	2,80,00,000.00	2,80,00,000.00
प्राप्य (पीएसएफ)	27,78,64,355.95	27,74,30,535.95
योग (ख)	**41,15,52,132.34**	**39,01,31,391.75**
योग (क+ख)	**8,78,83,39,972.62**	**6,23,86,68,768.47**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू **प्रबंध निदेशक**	**संजीव गौतम** **निदेशक**
डॉ रंजीत सिंह राजपूत **उप-निदेशक (परियोजना)**	**सतवीर कुमार** **लेखा अधिकारी**

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली

31 मार्च,2024 को तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष

अनुसूची 10- सेवाओं से आय

(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
सेवा शुल्क (पीएसएस/पीएसएफ/एफपीओ/अन्य)	5,25,27,031.00	3,30,00,000.00
सेवा शुल्क (आरओ)	1,95,37,121.00	52,52,167.00
अन्य आय	51,453.00	4,548.82
कुल	**7,21,15,605.00**	**3,82,56,715.82**

अनुसूची 11 - अर्जित ब्याज

(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
सावधि जमा पर ब्याज	4,46,86,648.64	4,08,42,988.65
बजत खाता:		
अनुसूचित बैंकों के साथ	2,81,44,555.00	1,24,10,582.00
बैंक खाता सं. :- 10055622468(आर.ओ.)	-	27,015.00
एच.डी.एफ.सी.-जी.पी. बैंक खाता सं. 90301	-	56,131.00
एच.डी.एफ.सी. 7201 जी.के.	-	18,910.00
अन्य		
आयकर रिफ़ंड पर ब्याज	-	-
कुल	**7,28,31,203.64**	**5,33,55,626.65**

अनुसूची 12- अन्य आय

(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
विविध आय	1,63,412.00	7,97,526.57
किराये की आय	93,45,446.52	42,88,822.00
लाइसेंस शुल्क (डीडीए फ्लैट्स)	29,842.00	21,270.00
स्टॉक समायोजन - शून्य लागत पर	46,28,074.67	-
चिकित्सा योगदान (डी. भुयान-पूर्व निदेशक)	1,750.00	1,750.00
योग	**1,41,68,525.19**	**51,09,368.57**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली

आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष

अनुसूची 13- स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए	समाप्त वर्ष 2023 के लिए
सामान्य निधि व्यय	3,43,01,258.90	3,21,50,038.65
किराया व्यय (डीडीए फ्लैट-एसएफएसी)	5,29,350.00	4,55,949.00
कुल	**3,48,30,608.90**	**3,26,05,987.65**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली
आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष

अनुसूची 13– स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि

अनुसूची-13क "सामान्य निधि व्यय"

(राशि रु.)

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए		कुल	समाप्त वर्ष 2023 के लिए		कुल
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय		मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	
विज्ञापन व्यय	-	-	-	1,15,428.00	-	1,15,428.00
बैंक शुल्क (1594)	2,231.38		2,231.38	-		-
बैंक शुल्क (सामान्य निधि)	-		-	385.57		385.57
आकस्मिक/परिवहन व्यय	1,91,388.20		1,91,388.20	1,26,700.08		1,26,700.08
उचित परिश्रम एफपीओ	8,49,060.00		8,49,060.00	38,86,800.00		38,86,800.00
अचल संपत्ति एफपीओ	6,20,400.00		6,20,400.00			-
राष्ट्रीय सूचना केंद्र	2,13,844.00		2,13,844.00			-
एनबीबी प्रशासन	44,701.00		44,701.00			-
बिजली और पानी	9,01,009.00		9,01,009.00			-
ईपीएफ नियोक्ता का अंशदान	-		-	81,131.00		81,131.00
खरीदी गई अचल संपत्तियां	-		-	2,48,319.00		2,48,319.00
ग्रेच्युटी	17,48,938.00		17,48,938.00	1,38,53,484.00		1,38,53,484.00
चिकित्सा	30,411.00		30,411.00	43,152.00		43,152.00
मीटिंग एवं सेमीनार व्यय	7,84,914.50		7,84,914.50	2,27,294.00		2,27,294.00
सदस्यता शुल्क एवं अंशदान	10,030.00		10,030.00	10,030.00		10,030.00
विविध व्यय	4.72		4.72	19,784.00		19,784.00
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं प्रकाशन	1,69,199.00		1,69,199.00			-
कार्यालय भवन व्यय	8,60,012.00		8,60,012.00			-
मूल्य स्थिरीकरण निधि (बफर स्टॉक)	407.10		407.10			-
मुद्रण/प्रकाशन/स्टेशनरी	2,73,368.00		2,73,368.00	69,552.00		69,552.00
प्रोफेशनल शुल्क	37,77,181.00		37,77,181.00	37,80,255.00		37,80,255.00
मरम्मत और रखरखाव	1,18,468.00		1,18,468.00	1,46,746.00		1,46,746.00
वेतन एवं भत्ते - एफपीओ	2,17,74,814.00		2,17,74,814.00	84,88,232.00	4,73,880.00	89,62,112.00
वेतन एवं भत्ते - कानूनी सेल	10,08,662.00		10,08,662.00			-
लघु एवं अतिरिक्त	(159.00)		(159.00)			-
कर्मचारी कल्याण	88,192.00		88,192.00	2,11,531.00		2,11,531.00
टेलीफोन-कर्मचारी और कार्यालय	46,827.00		46,827.00	4,840.00	-	4,840.00
यात्रा खर्च	5,93,386.00		5,93,386.00	3,40,023.00		3,40,023.00
वाहन किराया शुल्क	1,93,970.00		1,93,970.00	22,472.00		22,472.00
कुल	**3,43,01,258.90**	**-**	**3,43,01,258.90**	**3,16,76,158.65**	**4,73,880.00**	**3,21,50,038.65**

अनुसूची-13ख "किराया व्यय (डीडीए फ्लैट-एसएफएसी)"

विवरण	समाप्त वर्ष 2024 के लिए		कुल	समाप्त वर्ष 2023 के लिए		कुल
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय		मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	
बिजली और पानी का शुल्क		-	-	4,012.00		4,012.00
फ्लैटों का रखरखाव	4,45,500.00	-	4,45,500.00	3,24,294.00		3,24,294.00
संपत्ति कर (डीडीए फ्लैट्स)	83,850.00	-	83,850.00	1,27,643.00		1,27,643.00
कुल	**5,29,350.00**		**5,29,350.00**	**4,55,949.00**	**-**	**4,55,949.00**
कुल योग	**3,48,30,608.90**	**-**	**3,48,30,608.90**	**3,21,32,107.65**	**4,73,880.00**	**3,26,05,987.65**

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव गौतम
निदेशक

डॉ. रंजीत सिंह राजपूत
उप-निदेशक (परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली

लेखा नीतियां और लेखों का अंग बनने वाले लेखों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 और 15

लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन की नकदी प्रणाली का पालन करते हुए, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, खाते को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें संचय के आधार पर आय और हाइब्रिड आधार पर व्यय को मान्यता दी जाती है। लेखांकन नीतियाँ जिनका अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
2. एसएफएसी को प्राप्त अनुदान सहायता और सामान्य निधि खाते से अर्जित अचल संपत्तियां और साथ ही उन पर भौतिक और वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए अचल संपत्ति निधि खाते के तहत बैलेंस शीट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
3. अचल संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर नियम, 1962 में निर्धारित दरों पर प्रतिलेखित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है। मूल्यह्रास की दरें नीचे दी गई हैं:

कार्यालय भवन	10%
आवासीय भवन	5%
कार्यालय उपकरण	15%
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%
वाहन	40%
कंप्यूटर	40%

4. निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और उसे उद्धृत नहीं किया जाता।
5. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सीसी सीमा के बकाया का निपटान कर दिया गया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सीसी खाता बंद कर दिया गया है।
6. जिन मामलों में वीसीए रिफंड प्राप्त हुआ/लंबित है/मुकदमेबाजी के अधीन है, उनका विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।
7. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि को अलग-अलग दर्शाया गया है तथा आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया है। प्रशासनिक शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्क का भुगतान योजना(यों) के मापदंडों के अनुसार किया गया है।

8. योजनाओं के प्रशासनिक व्यय संबंधित योजना के अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं। आय-व्यय खाते में केवल सामान्य निधि का व्यय दर्शाया गया है।

एमअरोड़ा एंड कंपनी .के.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन संख्या 004452N

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव कुमार गौतम
निदेशक

सीए. एमअरोड़ा .के.
साझेदार
सदस्यता संख्या 082966

डॉ रंजीत सिंह राजपूत
उप निदेशक(परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

1. क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, एसएफएसी ने 653.27 लाख रुपये की क्रेडिट गारंटी के 20 मामलों को कवर किया है, जिसके लिए देयता बनाई गई है। आज की तारीख तक कोई गारंटी लागू नहीं की गई है, इसलिए कोई भुगतान परिलक्षित नहीं हुआ है। एफपीसी के पक्ष में जारी गारंटी का विवरण इस प्रकार है:

एसएफएसी द्वारा कवर की गई क्रेडिट गारंटी की सूची

क्र.सं.	ऋण देने वाले बैंक का नाम	एफपीसी नाम	राज्य	ऋण गारंटी कवर (लाख रुपए में)
1	एनकेएफएल	कोल्लापूर एफ.पी.सी.एल.	तेलंगाना	14.88
2	एनकेएफएल	पाडी पटना एग्रो एफ.पी.सी.एल.	तेलंगाना	15.30
3	एनकेएफएल	श्रीजोनी ग्रीन एफ.पी.सी.एल.	पश्चिम बंगाल	42.50
4	एनकेएफएल	विंध्यांचल फसल पी.सी.एल.	मध्य प्रदेश	61.12
5	एनकेएफएल	बनास एफ.पी.सी.एल.	गुजरात	21.25
6	एनकेएफएल	सम्मक्का सरक्का एफ.पी.सी.एल.	तेलंगाना	14.99
7	एनकेएफएल	शीड्स एफ.पी.सी.एल.	तमिलनाडु	85.00
8	एनकेएफएल	विघ्नेश्वर एफ.पी.सी.एल.	तेलंगाना	9.81
9	केनरा बैंक	विलाथिकुलम पुदुर पल्सस पी.सी.एल.	तमिलनाडु	51.00
10	आईडीबीआई बैंक	मध्य भारत कंसोर्टियम एफ.पी.सी.एल.	मध्य प्रदेश	85.00
11	एनकेएफएल	ऐंधिनाई एफ.पी.सी.एल.	तमिलनाडु	21.25
12	एनकेएफएल	चुरेश्वर एफ.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश	10.20
13	एनकेएफएल	गदापट्टी चिल्ली पी.सी.एल.	ओडिशा	8.21
14	एनकेएफएल	कट्टंगुर एफ.पी.सी.एल.	तेलंगाना	17.00
15	एनकेएफएल	नवधान्य एफ.पी.सी.एल.	तमिलनाडु	8.50
16	एनकेएफएल	सबुजा साथी एफ.पी.सी.एल.	ओडिशा	15.30
17	एनकेएफएल	सुवर्णरेखा एग्रीकल्चर पी.सी.एल.	ओडिशा	18.96
18	एनकेएफएल	तमनाडा वूमन एग्रो पी.सी.एल.	ओडिशा	17.00
19	एस.बी.आई.	पूर्वांचल पोल्ट्री पी.सी.एल.	उत्तर प्रदेश	85.00
20	यस बैंक	अजयमेरु एफ.पी.सी.एल.	राजस्थान	51.00
		कुल		**653.27**

2. सोसायटी को आयकर अधिनियम, 1961 के आदेश एफ. सं. डीजीआईटी (ई) /10(23सी) (iv) /2011 के तहत धारा 10(23सी) (iv) के तहत अनुमोदित किया गया है। आय के 15% से अधिक राशि पूरी तरह और विशेष रूप से उन उद्देश्यों के लिए जमा की जाती है जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है।
3. तीसरे पक्ष की पुष्टि के अभाव में, विविध देनदारों, विविध लेनदारों, प्रतिभूति जमा और पार्टियों को दिए गए अग्रिमों का शेष सोसायटी के रिकॉर्ड के अनुसार लिया गया है।
4. इस वित्तीय वर्ष में अपनाए गए प्रारूप पर आम सहमति लाने के लिए जहां भी आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

एमअरोड़ा एंड कंपनी .के.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन संख्या 004452N

सीए. एमअरोड़ा .के.
साझेदार
सदस्यता संख्या 082966

कृते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

धीरज साहू
प्रबंध निदेशक

संजीव कुमार गौतम
निदेशक

डॉ रंजीत सिंह राजपूत
उप निदेशक(परियोजना)

सतवीर कुमार
लेखा अधिकारी

31.03.2024 वीसीए रिफंड स्थिति

वीसीए मंजूरी का वर्ष	रिफंड के लिए देय मामलों की संख्या	देय राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें रिफंड प्राप्त हुआ		रकम वापस कर दी गई		रिफंड के लिए लंबित मामले	बकाया राशि
			भरा हुआ	आंशिक	भरा हुआ	आंशिक		
2002-03	1	25,00,000.00	0	0	-	-	1	25,00,000.00
2003-04	2	68,52,000.00	0	0	-	-	2	68,52,000.00
2005-06	43	10,76,84,000.00	26	4	4,61,08,868.00	1,55,63,991.00	13	4,60,11,141.00
2006-07	57	12,15,93,000.00	35	6	5,49,04,395.00	43,78,800.00	16	6,23,09,805.00
2007-08	68	19,50,72,000.00	44	3	11,00,93,790.00	25,02,179.00	21	8,24,76,031.00
2008-09	58	18,42,84,000.00	41	6	11,54,42,196.50	32,17,000.00	11	6,56,24,803.50
2009-10	77	20,34,10,000.00	63	4	15,55,86,267.00	9,00,000.00	10	4,69,23,733.00
2010-11	85	23,67,55,000.00	68	2	18,18,16,903.00	2,00,000.00	15	5,47,38,097.00
2011-12	121	37,88,40,000.00	95	7	30,56,78,826.78	98,47,465.50	19	6,33,13,707.72
2012-13	125	40,39,76,000.00	95	13	28,80,97,033.93	2,73,56,842.39	17	8,85,22,123.68
2013-14	210	78,83,50,000.00	171	12	62,87,82,008.08	3,51,32,726.58	27	12,44,35,265.34
2014-15	268	80,39,10,000.00	202	14	61,52,19,152.62	3,16,00,695.00	52	15,70,90,152.38
2015-16	220	56,99,36,000.00	175	8	45,91,15,973.00	1,31,88,702.54	37	9,76,31,324.46
2016-17	253	66,89,27,000.00	214	4	57,08,19,343.59	34,72,500.00	35	9,46,35,156.41
2017-18	382	1,04,23,58,000.00	297	25	79,97,06,875.59	4,64,86,109.68	60	19,61,65,014.73
2018-19	188	52,82,41,000.00	153	9	43,02,97,363.00	1,27,74,830.26	26	8,51,68,806.74
2019-20	50	11,38,51,000.00	45	1	10,13,52,179.80	30,00,000.00	4	94,98,820.20
2020-21	16	3,44,05,000.00	16	0	3,44,05,000.00	-	0	-
2021-22	2	69,50,000.00	2	0	69,50,000.00	-	0	-
कुल	**2226**	**6,39,78,94,000.00**	**1742**	**118**	**4,90,43,76,175.89**	**20,96,21,841.95**	**366**	**1,28,38,95,982.16**
कुल वापसी					**5,11,39,98,017.84**			

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

(कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

पांचवी मंजिल, एनसीयूआई ऑडिटोरिम बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग
हौज खास, नई दिल्ली–110016
टेलीफोन : **+91-11-1060075, 41056163**
ई–मेल : **sfac@nic.in,** वेबसाईट : **www.sfacindia.com**